

Annamath Paper 2-1-1912

ओ३म्

नमो विश्वम्भराय जगदीश्वराय ॥

अथ

गुरु विरजानन्द

सन्दर्भ पुस्तक

पु परिग्रहण क्रमांक 337

दयानन्द महिला

गोकर्णानिधिः

स्वामिदयानन्दसरस्वतीनिर्मितः

अजमेर-नगरे

वैदिकयन्त्रालये मुद्रितः

—१३०६—

गाय त्वादि षडुक्तों की रक्षा से सब प्राणियों के सुख के लिये
अनेक सत्पुरुषों की सम्मति के अनुसार आर्यभाषा में बनाया ॥

इसके अनुसार वर्तमान करने से संसार का बड़ा उपकार है ॥

विक्रमांशु संवत् १९६६ वैशाख

१९०९

सातवींवार २०००

मूल्य -)

वैदिक यन्त्रालय अजमेर के पुस्तकों का सूचीपत्र और संक्षिप्त नियम ।

(१) मूल्य रोक भेजकर मंगाने, (२) रोक भेजने वालों को १०) ६० वा
रुपय से अधिक पर २०) ६० सैकड़ा के हिसाब से कमीशन के पुस्तक अधिक
भेजे जायेंगे (३) डाक महसूल वेदभाष्य छोड़कर सब पुस्तकों पर भलग लिया
जायगा २) ६० वा इस से अधिक के पुस्तक रजिस्टरी कराकर भेजे जायेंगे, (४)
मूल्य निचे लिखे पते से भेजे ॥

पुस्तक का नाम	मूल्य	डा०
सर्ववेदभाष्य संक १—२४६	२३)	
सर्ववेद भाष्य सम्पूर्ण	२४)	
सर्ववेदादि भाष्य भूमिका	२॥)	१)
जिल्द की	३)	१)
सौन्दर्य शिक्षा	४)	॥)
संक्षिप्त विषय	५)	॥)
सांख्यिक	६)	॥)
कारकीय	७)	॥)
सांख्यिक	८)	॥)
सौख्यतादिन	९)	४)
अर्थपर्य	१०)	॥)
सौख्य	११)	॥)
सांख्यिक	१२)	१॥)
पारिभाषिक	१३)	॥)
सांख्यिक	१४)	॥)
सांख्यिक	१५)	॥)
सांख्यिक	१६)	॥)
सांख्यिक	१७)	॥)
सांख्यिक	१८)	॥)
सांख्यिक	१९)	॥)
सांख्यिक	२०)	॥)
सांख्यिक	२१)	॥)
सांख्यिक	२२)	॥)
सांख्यिक	२३)	॥)
सांख्यिक	२४)	॥)
सांख्यिक	२५)	॥)
सांख्यिक	२६)	॥)
सांख्यिक	२७)	॥)
सांख्यिक	२८)	॥)
सांख्यिक	२९)	॥)
सांख्यिक	३०)	॥)

पुस्तक का नाम	मूल्य	डा०
मेला चांदापुर नागरी	४)	॥)
" उर्दू	५)	॥)
वेदविरुद्धमतखण्डन	६)	॥)
आर्योद्देशपरत्नमाला	७)	॥)
गोकृष्णानिधि	८)	॥)
स्वामीनारायणमतखण्डन		
" गुजराती	१॥)	॥)
स्वयन्तव्याऽमन्तव्यप्रकाश	१॥)	॥)
" इंग्रेजी	१॥)	॥)
शास्त्रार्थ फीरोजाबाद	१॥)	॥)
शास्त्रार्थकाशी	१॥)	॥)
आर्याभिविनय	१॥)	॥)
" जिल्द की	१॥)	४)
वेदान्तिध्वान्त निवारण	१॥)	॥)
भ्रान्तिनिवारण	१॥)	॥)
परब्रह्ममहापुरुषविधि	१॥)	॥)
" जिल्द की	१॥)	४)
आर्यसमाज के नियमोपनि०	१॥)	॥)
सातव्य आर्यसमाज (१०००)	१॥)	४)
सत्यार्थ प्रकाश (सादा)	१॥)	१॥)
" जिल्द का	२॥)	१)
सत्यार्थ प्रकाश (दंडिया)	२॥)	१॥)
जिल्द का	२॥)	१॥)
संस्कार विधि	२॥)	१॥)
" जिल्द का	२॥)	१॥)
स्वीकार पत्र	३॥)	॥)

॥ स० के नियम नागरी में सफेद कागज पर ।) सैकड़ा रंमौन पर । ॥ तथा अंग्रेजी सदीद पर । ॥
यनेतर वैदिक यन्त्रालय अजमेर

ओ३म्

नमो नमः सर्वशक्तिमते जगदाध्वराय ॥

गोकर्णानिधिः ॥

इन्द्रो विश्वस्य राजति । शन्नो अस्तु द्वि-
पदे शं चतुष्पदे ॥ य० अ० ३६ । मं० ८ ॥


तनोतु सर्वेश्वर उत्तमम्बलं गवादिरेक्षं विविधं दयेरितः ।
अशेषविघ्नानि निहत्य नः प्रभुः सहायकारी विदधालु गोहितम् । श-
ये गोसुखं सम्यगुशन्ति धीरास्ते धर्मजं सौख्यमथाददन्ते ।
क्रूरा नराः पापरता नयन्ति प्रज्ञाविहीनाः पशुहिंसकास्तत् ॥२॥

भूमिका ।

वे धर्मात्मा विद्वान् लोग धन्य हैं जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, अभि-
प्राय, सृष्टिकर्म, प्रत्यक्षादि प्रमाण और आत्मा के आचार से अविरोध चलके
सब संसार को सुख पहुंचाते हैं, और शोक है उन पर जो कि इन से विरोध
स्वार्थी दयाहीन होकर जगत् में हानि करने के लिये वर्तमान हैं । पूजनीय जन
वे हैं कि जो अपनी हानि होती हो तो भी सब के हितके करने में अपना तन,
मन, धन लगाते हैं और तिरस्कारणीय वे हैं जो अपने ही लाभ में सन्तुष्ट रह
कर सब के सुखों का नाश करते हैं । ऐसा सृष्टि में कौन मनुष्य होगा जो सुख
और दुःख को स्वयं न मानता हो ? क्या ऐसा कोई भी मनुष्य है कि जिस के

गले को काटे वा रक्षा करे वह दुःख और सुख का अनुभव न करे ? जब सब को लाभ और सुख ही में प्रसन्नता है तो विना अपराध किसी प्राणी का प्राणवियोग करके अपना पोषण करना यह सत्पुरुषों के सामने निन्दित कर्म क्यों न होवे ? सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर इस सृष्टि में मनुष्यों के आत्माओं में अपनी दया और न्याय को प्रकाशित करे कि जिससे ये सब दया और न्याययुक्त होकर सर्वदा सर्वोपकारक काम करें और स्वार्थपन से पक्षपातयुक्त होकर कृपापात्र गाय आदि पशुओं का विनाश न करें कि जिससे दुग्ध आदि पदार्थों और खेती आदि क्रियाओं की सिद्धि से युक्त होकर सब मनुष्य आनन्द में रहें । इस ग्रन्थ में जो कुछ अधिक, न्यून वा अयुक्त लेख हुआ हो उस को बुद्धिमान् लोग इस ग्रन्थ के तात्पर्य के अनुकूल कर लें । धार्मिक विद्वानों की यही योग्यता है कि वक्ता के वचन और ग्रन्थकर्त्ता के अभिप्राय के अनुसार ही समझ लें । यह ग्रन्थ इसी अभिप्राय से रचा गया है जिससे गो आदि पशु जहाँतक सामर्थ्य हो बचाये जावें, और उनके बचाने से दूध घी और खेती के बढ़ने से सब को सुख बढ़ता रहे । परमात्मा कृपा करे कि यह अभीष्ट शीघ्र सिद्ध हो । इस ग्रन्थ में तीन प्रकरण हैं—एक समीक्षा, दूसरा नियम और तीसरा उपनियम । इन को ध्यान दे पक्षपात छोड़ विचार के राजा तथा प्रजा यथावत् उपयोग में लावें कि जिससे दोनों के लिये सुख बढ़ता ही रहे ॥

इति भूमिका ॥



अथ समीक्षा-प्रकरणम् ॥

गोकृष्यादिरक्षिणी सभा ॥

—:0:—

इस सभा का नाम गोकृष्यादिरक्षिणी इसलिये रक्खा है जिससे गवादि पशु और कृष्यादि कर्मों की रक्षा और वृद्धि होकर सब प्रकार के उत्तम सुख मनुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होते हैं, और इस के विना निम्नलिखित सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकते। सर्वशक्तिमान् जगदश्वर ने इस सृष्टि में जो २ पदार्थ बनाये हैं वे निष्प्रयोजन नहीं किन्तु एक २ वस्तु अनेक २ प्रयोजन के लिये रची है, इसलिये उनसे वे ही प्रयोजन लेना न्याय अन्यथा अन्याय है देखिये जिसलिये यह नेत्र बनाया है, इससे वही कार्य लेना सब को उचित होता है, न कि उस से पूर्ण प्रयोजन न लेकर बीचही में वह नष्ट कर दिया जावे क्या जिन २ प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने जो २ पदार्थ बनाये हैं उन २ से वे २ प्रयोजन न लेकर उन को प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषों के विचार में बुरा कर्म नहीं है ? पक्षपात छोड़ कर देखिये गाय आदि पशु और कृषि आदि कर्मों से सब संसार को असंख्य सुख होते हैं वा नहीं ? जैसे दो और दो चार, वैसे ही सत्यविद्या से जो २ विषय जाने जाते हैं वे अन्यथा कभी नहीं हो सकते ॥

जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती हो और दूसरी बीस सेर तो प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर दूध देने में कुछ भी शंका नहीं, इस हिसाब से एक मास में ८५ सवा आठ मन दूध होता है। एक गाय कम से कम ६ महीने और दूसरी अधिक से अधिक १८ महीने तक दूध देती है तो दोनों का मध्य भाग प्रत्येक गाय के दूध देने में बारह महीने होते हैं इस हिसाब से बारह महीनों का दूध ६६ निम्नानवें मन होता है। इतने दूध को ओटा कर प्रति सेर में छटांक चावल और डेढ़ छटांक चीनी डालकर खीर बना खावें तो प्रत्येक पुरुष के लिये दो सेर दूध की खीर पुष्कल होती है क्योंकि यह भी एक मध्य भाग की गिनती है अर्थात् कोई दो सेर दूध की खीर से अधिक

खागया और कोई न्यून इम हिसाब से एक प्रसूता गाय के दूध से १६८० एक हजार नवसौ अस्सी मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं। गाय न्यून से न्यून ८ और अधिक से अधिक १८ वार व्याती है इस का मध्य भाग तरह वार आया। तो २५७४० पच्चीस हजार सातसौ चालीस मनुष्य एक गाय के जन्म भर के दूधमात्र से एक बार तृप्त हो सकते हैं। इस गाय को एक पीढ़ी में छः बछियाँ और सात बछड़े हुए इन में से एक की मृत्यु रोगादि से होना सम्भव है तो भी बारह रहे। उन छः बछियाँ के दूधमात्र से उक्त प्रकार १५४४४० एक लाख चौवन हजार चारसौ चालीस मनुष्यों का पालन हो सकता है। अब रहे छः बैल उन में एक जोड़ी से दोनों साह में २०० दोसौ मन अन्न उत्पन्न हो सकता है इस प्रकार तीन जोड़ी ६०० छः सौ मन अन्न उत्पन्न कर सकती हैं और उनके कार्य का मध्य भाग आठ वर्ष है इस हिसाब से ४८०० चार हजार आठसौ मन अन्न उत्पन्न करने की शक्ति एक जन्म में तीनों जोड़ी की (४८००) इतने अन्न से प्रत्येक मनुष्य का तीन पाव अन्न भोजन में भिनें तो २५६००० दो लाख छपन हजार मनुष्यों का एक बार भोजन होता है दूध और अन्न को मिलाकर देखने से निश्चय है कि ४१०४४० चारलाख दशहजार चारसौ चालीस मनुष्यों का पालन एक बार के भोजन से होता है। अब छः गाय की पीढ़ी परपीढ़ियों का हिसाब लगा कर देखा जावे तो असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है और इस के मांस से अनुमान है कि केवल अस्सी भांसाहारी मनुष्य एक बार तृप्त हो सकते हैं। देखो तुच्छ लाभ के लिये लाखों प्राणियों को मार असंख्य मनुष्यों की हानि करना महापाप क्यों नहीं ?

सद्यपि गाय के दूध से भैंस का दूध कुछ अधिक और बैलों से भैंसा कुछ न्यून लाभ पहुंचाता है तथापि जितना गाय के दूध और बैलों के उपयोग से मनुष्यों को सुखों का लाभ होता है उतना भैंसियों के दूध और भैंसा से नहीं क्योंकि जितने आरोग्यकारक और सुद्विषदक आदि सुख गाय के दूध और बैलों में होते हैं उतने भैंस के दूध और भैंसे आदि में नहीं हो सकते, इसलिये आर्यों ने गाय सर्वोत्तम मानी है ॥

और जंतुनी का दूध गाय और भैंस के दूध से भी अधिक होता है तो भी

इन का दूध माय के सदृश नहीं ऊंट और ऊंटनी के गुण भार उठाकर शीघ्र पहुंचाने के लिये प्रशंसनीय है ॥

अब एक बकरी कम से कम एक और अधिक से अधिक पांच सेर दूध देती है इसका मध्यभाग प्रत्येक बकरी से तीन सेर दूध होता है और न्यून से न्यून तीन महीने और अधिक से अधिक पांच महीने तक दूध देती है तो प्रत्येक बकरी के दूध देने में मध्यभाग चार महीने हुए वह एक मास में २। सवा दो मन और चार मास में १ मन मन होता है पूर्वोक्त प्रकारानुसार इस दूध से एकसौ अस्सी १८० मनुष्यों की तृप्ति होती है, और एक बकरी एक वर्ष में दो बार व्याती है इस हिसाब से एक वर्ष में एक बकरी के दूध के एक बार भोजन से ३६० तीन सौ साठ मनुष्यों की तृप्ति होती है, कोई बकरी न्यून से न्यून चार वर्ष और कोई अधिक से अधिक ८ आठ वर्ष तक व्याती है इस का मध्य भाग ६ छः वर्ष हुआ तो जन्मभर के दूध से २१६० दो हजार एकसौ साठ मनुष्यों का एक बार के भोजन से पालन होता है, अब उसके बच्चा बच्ची मध्यभाग से २४ चौबीस हुए क्योंकि कोई न्यून से न्यून और कोई अधिक से अधिक तीन बच्चों से व्याती है उन में से दो का अल्प मृत्यु समझो, रहे २२ बाईस उन में से १२ बारह बकरियों के दूध से २५९२० पचीस हजार नव सौ बीस मनुष्यों का एक दिन पालन होता है उसकी पीढ़ी परपीढ़ी के हिसाब लगाने से असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है और बकरे भी बोझ उठाने आदि प्रयोजनों में आते हैं और बकरा बकरी और भेड़ा भेड़ी के ऊन के बच्चों से मनुष्यों को बड़े-सुख लाभ होते हैं, यद्यपि भेड़ी का दूध बकरी के दूध से कुछ कम होता है तथापि बकरी के दूध से उस के दूध में बल और घृत अधिक होता है। इसी प्रकार अन्य दूध देनेवाले पशुओं के दूध से भी अनेक प्रकार के सुख लाभ होते हैं जैसे ऊंट ऊंटनी से लाभ होते हैं वैसे ही घोड़े घोड़ी और हाथी आदि से अधिक कार्य सिद्ध होते हैं, इसी प्रकार सूअर, कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी और मोर आदि पक्षियों से भी अनेक उपकार होते हैं जो पुरुष हरिण और सिंह आदि पशु और मोर आदि पक्षियों से भी उपकार लेना चाहें तो ले सकते हैं परन्तु सब का पालन उत्तरोत्तर समयानुकूल होवेगा, वर्तमान में प्रसोपकारकर्मों की रक्षा में मुख्य तात्पर्य है। दो ही प्रकार से मनुष्य आदि की प्राणरक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल और पुरुषार्थ आदि की वृद्धि होती है एक अन्नपान, दूसरा

आच्छादन इन में से प्रथम के विना मनुष्यादि का सर्वथा प्रलय और दूसरे के विना अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। देखिये जो पशु निःसार घास तृण पत्ते फल फूल आदि खानें और सार दूध आदि अमृतरूपी रत्न देवें, हल गाड़ी में चल के अनेकविध अन्न आदि उत्पन्न कर सबके बुद्धि बल पराक्रम को बढ़ा के नीरोगता करें, पुत्र पुत्री और गिन्न आदि के समान पुरुषों के साथ विश्वास और प्रेम करें, जहां बांधें वहां बँधे रहें, जिधर चलानें उधर चलें, जहां से हटावें वहां से हट जावें, देखने और बुलाने पर समीप चले आवें, जब कभी व्याघ्रादि पशु वा मारनेवाले को देखें अपनी रक्षा के लिये पालन करनेवाले के समीप दौड़ कर आवें कि यह हमारी रक्षा करेगा ॥

जिन के मरे पर चमड़ा भी कंटक आदि से रक्षा करे, जंगल में चर के अपने बच्चे और स्वामी के लिये दूध देने को नियत स्थान पर नियत समय चले आवें, अपने स्वामी की रक्षा के लिये तन मन लगावें, जिन का सर्वस्व राजा और प्रजा आदि मनुष्यों के सुख के लिये है, इत्यादि शुभ गुणयुक्त सुखकारक पशुओं के गले छुरों से काट कर जो अपना पेट भर सब संसार की हानि करते हैं, क्या संसार में उन से भी अधिक कोई विश्वासघाती अनुपकारी दुःख देनेवाले और पापी जन होंगे ? इसीलिये यजुर्वेद के प्रथम ही मन्त्र में परमात्मा की आज्ञा है कि (अध्याः यजमानस्य पशून् पाहि) हे पुरुष ! तू इन पशुओं को कभी मत मार और यजमान अर्थात् सब के सुख देने वाले जनों के सम्बन्धी पशुओं की रक्षा कर जिन से तेरी भी पूरी रक्षा होवे और इसीलिये ब्रह्मा से ले के आज पर्यन्त आर्य लोग पशुओं की रक्षा में प्राप और अप्रम समझते थे और अब भी समझते हैं, और इनकी रक्षा में अन्न भी मैंहगा नहीं होता, क्योंकि दूध आदि के अधिक होने से दरिद्री को भी खान पान में बिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है, और अन्न के कम खाने से मल भी कम होता है, मल के न्यून होने से दुर्गन्ध भी न्यून होता है, दुर्गन्ध के स्वल्प होने से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि भी विशेष होती है, उस से रोगों की न्यूनता होने से सब को सुख बढ़ता है ॥

इन से यह ठीक है कि गौ आदि पशुओं के नाश होने से राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता है, क्योंकि जब पशु न्यून होते हैं तब दूध आदि पदार्थ और खेती आदि कर्मों की भी घटती होती है ॥ देखो इसी से जितने मन्त्र से

जितना दूध और घी आदि पदार्थ तथा बैल आदि पशु ७०० सातसौ वर्ष के पूर्व मिलते थे उतना दूध घी और बैल आदि पशु इस समय दशगुणो मूल्य से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि ७०० सातसौ वर्ष के पीछे इस देश में गवादि पशुओं को मारनेवाले मांसाहारी विदेशी मनुष्य बहुत आ बसे हैं, वे उन सर्वोपकारी पशुओं के हाड़ मांस तक भी नहीं छोड़ते तो (नष्टे मूले नैव पत्रं न पुष्पम्) जब कारण का नाश करदे तो कार्य नष्ट क्यों न हो जावे? हे मांसाहारियो ! तुम लोग जब कुछ काल के पश्चात् पशु न मिलेंगे तब मनुष्यों का मांस भी खोड़ोगे वा नहीं? हे परमेश्वर ! तू क्यों इन पशुओं पर (जो कि विना अपराध मारे जाते हैं) दया नहीं करता ? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है ? क्या इन के लिये तेरी न्यायसभा बंद होगई है ? क्यों उन की पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान नहीं देता ? और उन की पुकार नहीं सुनता, क्यों इन मांसाहारियों के आत्माओं में दया प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थपन और मूर्खता आदि दोषों को दूर नहीं करता ? जिससे ये, इन बुरे कामों से बचें ॥

अथ समीक्षायां हिंसकरक्षकसंवादः ॥

हिंसक—ईश्वर ने सब पशु आदि सृष्टि मनुष्यों के लिये रची है और मनुष्य अपनी भाक्ति के लिये, इसलिये मांस खाने में दोष नहीं हो सकता ।

रक्षक—भाई ! सुनो, तुम्हारे शरीर को जिस ईश्वर ने बनाया है क्या उसीने पशु आदि के शरीर नहीं बनाये हैं ? जो तुम कहो कि पशु आदि हमारे खाने को बनाये हैं तो हम कह सकते हैं कि हिंसक पशुओं के लिये तुम को उसने रचा है क्योंकि जैसे तुम्हारा चित्त उन के मांस पर चलता है वैसेही सिंह शृगल आदि का चित्त भी तुम्हारे मांस खाने पर चलता है तो उनके लिये तुम क्यों नहीं ॥

हिं०—देखो ईश्वर ने पुरुषों के दांत कैसे पौने मांसाहारी पशुओं के समान बनाये हैं इससे हम जानते हैं कि मनुष्यों को मांस खाना उचित है ।

र०—जिन व्याघ्रादि पशुओं के दांत के दृष्टान्त से अपना पक्ष सिद्ध किया चाहते हो क्या तुम भी उन के तुल्य ही हो ! देखो तुम्हारी मनुष्य जाति उन की पशु जाति, तुम्हारे दो पग और उनके चार, तुम विद्या पढ़कर सत्यासत्य का विवेक कर सकते हो वे नहीं, और यह तुम्हारा दृष्टान्त भी युक्त नहीं क्योंकि

जो दांत का दृष्टान्त लेते हो तो बंदर के दांतों का दृष्टान्त क्यों नहीं लेते? देखो बंदरों के दांत सिंह और बिल्ली आदि के समान हैं और वे मांस कभी नहीं खाते, मनुष्य और बंदर की आकृति भी बहुतसी मिलती है जैसे मनुष्यों के हाथ पग और नख आदि होते हैं वैसे ही बंदरों के भी हैं इसीलिये परमेश्वर ने मनुष्यों को दृष्टान्त से उपदेश किया है कि जैसे बंदर मांस कभी नहीं खाते और फलादि खाकर निर्वाह करते हैं वैसे तुम भी किया करो, जैसा बंदरों का दृष्टान्त सांगोपांग मनुष्यों के साथ घटता है वैसे अन्य किसी का नहीं, इसलिये मनुष्यों को अति उचित है कि मांस खाना सर्वथा छोड़ दें।

हि०—देखो जो मांसाहारी पशु और मनुष्य हैं वे बलवान् और जो मांस नहीं खाते हैं वे निर्बल होते हैं इससे मांस खाना चाहिये।

र०—क्यों अल्प समझ की बातें मानकर कुछ भी विचार नहीं करते, देखो सिंह मांस खाता और सुअर वा अण्णा भैंसा मांस कभी नहीं खाता परन्तु जो सिंह बहुत मनुष्यों के समुदाय में गिरे तो एक या दो को मारता और एक दो गोली वा तलवार के प्रहार से मर भी जाता है और जब जंगली सुअर वा अण्णा भैंसा जिस प्राणिसमुदाय में गिरता है तब उन अनेक सवारों और मनुष्यों को मारता और अनेक गोली, बरछी तथा तलवार आदि के प्रहार से भी शीघ्र नहीं गिरता और सिंह उन से डर के अलग सटक जाता है और वह सिंह से नहीं डरता। और जो प्रत्यक्ष दृष्टांत देखना चाहे तो एक मांसाहारी का एक दूध घी और अन्नाहारी यथुरा के मज्जल चाँबे से बाहुयुद्ध हो तो अनुमान है कि जोत्रा मांसाहारी को पटक उस की छाती पर चढ़ ही सकेगा, पुनः परीक्षा होगी कि किस र के खाने से बल न्यून और अधिक होता है। भला तनिक विचार करो कि छिलकों के खाने से अधिक बल होता है अथवा रस और जो सार है उस के खाने से? मांस छिलके के समान और दूध घी सार रस के तुल्य है इस को जो युक्तिपूर्वक खावे तो मांस से अधिक शुण और बलकारी होता है फिर मांस का खाना व्यर्थ और हानिकारक, अन्याय, अधर्म और दुष्ट कर्म क्यों नहीं?

हि०—जिस देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीं मिलता वहां वा अप्तकाल में अथवा रोगनिवृत्ति के लिये मांस खाने में दोष नहीं होता।

२०—यह आप का कहना व्यर्थ है क्योंकि जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ पृथिवी प्रशस्त होती है, जहाँ पृथिवी है वहाँ खेती वा फल फूल आदि होते हैं और हाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ मनुष्य भी नहीं रह सकते और जहाँ ऊसर भूमि वहाँ मिष्ट जल और फलाहारादि के न होने से मनुष्यों का रहना भी दुर्घट है और आपत्काल में भी अन्य उपायों से निर्वाह कर सकते हैं जैसे मांस के न खानेवाले करते हैं और बिना मांस के रोगों का निवारण भी औषधियों से यथावत् होता है इसीलिये मांस खाना अच्छा नहीं ॥

हि०—जो कोई भी मांस न खावे तो पशु इतने बढ़ जायँ कि पृथिवी पर भी न समावेँ और इसलिये ईश्वर ने उनकी उत्पत्ति भी अधिक की है तो मांस क्यों न खाना चाहिये ? ॥

२०—वाह ! वाह ! यह बुद्धि का विपर्यय आप को मांसाहार ही से हुआ होगा । देखो मनुष्य का मांस कोई नहीं खाता पुनः क्यों न बढ़ गये, और इनकी अधिक उत्पत्ति इसलिये है कि एक मनुष्य के पालन व्यवहार में अनेक पशुओं की अपेक्षा है इसलिये ईश्वर ने उनको अधिक उत्पन्न किया है ॥

हि०—ये जिनने उत्तर किये वे सब व्यवहार संबन्धी हैं परंतु पशुओं को मारके मांस खाने में अधर्म तो नहीं होता और जो होता है तो तुम को होता होगा क्योंकि तुम्हारे मत में निषेध है इसलिये तुम मत खाओ और हम खावें क्योंकि हमारे मत में मांस खाना अधर्म नहीं है ॥

२०—इस तुम से पूछते हैं कि धर्म और अधर्म व्यवहार ही में होते हैं वा अधर्म ? तुम कभी सिद्ध न कर सकोगे कि व्यवहार से भिन्न धर्माधर्म होते हैं, जिस जिस व्यवहार से दूसरों की हानि हो वह २ अधर्म, और जिस २ व्यवहार से उपकार हो वह २ धर्म कहाता है, तो लाखों के सुखलाभकारक पशुओं का नाश करना अधर्म और उनकी रक्षा से लाखों को सुख पहुंचाना धर्म क्यों नहीं मानते ? देखो चोरी जारी आदि कर्म इसीलिये अधर्म हैं कि इनसे दूसरे की हानि होती है नहीं तो जो २ प्रयोजन धनादि से उन के स्वामी सिद्ध करते हैं वे ही प्रयोजन उन चोरादि के भी सिद्ध होते हैं, इसलिये यह निश्चित है कि जो २ कर्म जगत् में हानिकारक हैं वे २ अधर्म और जो २ प्रयोपकारक हैं वे २ धर्म कहाते हैं । जब एक आदमी की हानि करने से चोरी आदि कर्म पाप में गिनते हो तो गवादि पशुओं को मार के बहुतों की हानि

करना महापाप क्यों नहीं ? देखो मांसाहारी मनुष्यों में दया आदि उत्तम गुण होतेही नहीं किन्तु वे स्वार्थवश होकर दूसरे की हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने ही में सदा रहते हैं। जब मांसाहारी किसी पुष्ट पशु को देखता है तभी उस को इच्छा होती है कि इसमें मांस अधिक है मारकर खाऊँ तो अच्छा हो, और जब मांस का न खानेवाला उसको देखता है तो प्रसन्न होता है कि यह पशु आनन्द में है। जैसे सिंह आदि मांसाहारी पशु किसी का उपकार तो नहीं करते किन्तु अपने स्वार्थ के लिये दूसरे का प्राण भी ले मांस खाकर अति प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मांसाहारी मनुष्य भी होते हैं, इसलिये मांस का खाना किसी मनुष्य को उचित नहीं ॥

हि०—अच्छा जो यही बात है तो जबतक पशु काम में आवें तबतक उन का मांस न खाना चाहिये, जब बूढ़े होजावें वा मर जावें तब खाने में कुछ भी दोष नहीं ॥

र०—जैसे दोष उपकार करनेवाले माता पिता आदि के वृद्धावस्था में मारने और उन के मांस खाने में है वैसे उन पशुओं की सेवा न कर मार के मांस खाने में है और जो मरे पश्चात् उन का मांस खाने तो उसका स्वभाव मांसाहारी होने से अवश्य हिंसक हाके हिंसारूपी पाप से कभी न बच सकेगा, इसलिये किसी अवस्था में मांस न खाना चाहिये ॥

हि०—जिन पशुओं और पक्षियों अर्थात् जंगल में रहनेवालों से उपकार किसी का नहीं होता और हानि होती है उन का मांस खाना वा नहीं ? ॥

र०—न खाना चाहिये, क्योंकि वे भी उपकार में आ सकते हैं। देखो तो १०० भंगी जितनी शुद्धि करते हैं उन से अधिक एक सुअर वा मुर्गा अथवा भोर आदि पक्षी सर्प आदि की निवृत्ति करने से पवित्रता और अनेक उपकार करते हैं और जैसे मनुष्यों का खान पान दूसरे के खाने पीने से उनका जितना अनुपकार होता है वैसे जंगली मांसाहारी का अक जंगली पशु और पक्षी है, और जो विद्या वा विचार से सिंह आदि वनस्थ पशु और पक्षियों से उपकार लेवें तो अनेक प्रकार का लाभ उन से भी होसकता है इस कारण मांसाहार का सर्वथा निषेध होना चाहिये। भला जिनके दूध आदि खाने पीने में आते हैं वे माता पिताके समान माननीय क्यों न होने चाहिये ? ईश्वर की सृष्टि से भी विदित होता है कि

मनुष्यों से पशु और पक्षी आदि अधिक रहने से कल्याण है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों के खाने पीने के पदार्थों से भी पशु और पक्षियों के खानेपीने के पदार्थ घास वृक्ष फूल फलादि अधिक रचे हैं और वे बिना जोते बोये सींचे पृथिवी पर स्वयं उत्पन्न होते हैं और वहां वृष्टि भी करता है इसलिये समझ लीजिये कि ईश्वर का अभिप्राय उन के मारने में नहीं किन्तु रक्षा करने में है ॥

हि०—जो मनुष्य पशु को मारके मांस खावे उन को पाप-होता है और जो विक्रता मांस मूल्य से ले वा भैरव, चामुंडा, दुर्गा, जखैया, वाममार्ग अथवा यज्ञ आदि की रीति से चढ़ा समर्पण कर खावे तो उन को पाप नहीं होना चाहिये क्योंकि वे विधि करके खाते हैं ॥

र०—जो कोई मांस न खावे न उपदेश और न अनुमति आदि देवे तो पशु आदि कभी न मारे जायें, क्योंकि इस व्यवहार में बहकावट लाभ और विक्री न हो तो प्राणियों का मारना बंद ही हो जावे, इस में प्रमाण भी है—

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कृता चोपहृता च खादकश्चेति घातकाः ॥ १ ॥

(मनु० अ० ५ । श्लो० ५१)

अर्थ—अनुमति (मारने की सलाह) देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिये लेने और बेचने, मांस के पकाने, परसने और खानेवाले ८ आठ मनुष्य घातक हिंसक अर्थात् ये सब पापकारी हैं और भैरव आदि के निमित्त से भी मांस खाना मारना वा मरवाना महापापकर्म है इसीलिये दयालु परमेश्वरने वेदों में मांस खाने वा पशु आदि के मारने की विधि नहीं लिखी ॥

मद्यभी मांस खाने का ही कारण है इसीलिये यहाँ संक्षेप से लिखते हैं—

प्रमत्त—कहोनी मांस तो छूटा सो छूटा परन्तु मद्य पीने में तो कोई भी दोष नहीं ? ॥

शान्त—मद्य पीने में भी वैसे ही दोष है जैसे कि मांस खाने में, मनुष्य मद्य पीने-से नशे के कारण नष्टबुद्धि होकर अकस्वय कर लेता और कस्वय को छोड़ देता है, न्याय का अन्याय और अन्याय का न्याय आदि विपरीत कर्म करता है और मद्य की उत्पत्ति विकृत पदार्थों से होती है और वह मांस-हारी अवरुध हो जाता है, इसलिये इसके पीने से आत्मा में विकार उत्पन्न

होते हैं और जो मद्य पीता है वह विद्यादि शुभ गुणों से रहित होकर उन दोषों में फँस कर अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों को छोड़ पशुवत् आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने मनुष्यजन्म को व्यर्थ कर देता है इसलिये नशा अर्थात् मदकारक द्रव्योंका सेवन भी न करना चाहिये । जैसा मद्य है वैसे भांग आदि पदार्थ भी मादक हैं इसलिये इनका भी सेवन कभी न करे, क्योंकि ये भी बुद्धि का नाश करके ममाद, आलस्य और हिंसा आदि में मनुष्य को लगा देते हैं इसीलिये मद्यपान के समान इन का भी सर्वथा निषेध ही है ॥

इससे हे धार्मिक सज्जन लोगो ! आप इन पशुओं की रक्षा तन, मन और धन से क्यों नहीं करते ? हाय !! बड़े शोक की बात है कि जय हिंसक लोग गाय बकरे आदि पशु और मोर आदि पक्षियों को मारने के लिये ले जाते हैं तब वे अनाथ तुम हम को देख के राजा और मजा पर बड़े शोक प्रकाशित करते हैं कि देखो ! हमको बिना अपराध बुरे हाल से मारते हैं और हम रक्षा करने तथा मारनेवालों को भी दूध आदि अमृत पदार्थ देने के लिये उपस्थित रहना चाहते हैं और मारे जाना नहीं चाहते, देखो हम लोगों का सर्वस्व परोपकार के लिये है और हम इसलिये पुकारते हैं कि हम को आप लोग बचावें, हम तुम्हारी भाषा में अपना दुःख नहीं समझा सकते और आप लोग हमारी भाषा नहीं जानते नहीं तो क्या हममें से किसीको कोई मारता तो हम भी आप लोगोंके सहज अपने मारनेवालोंको न्यायव्यवस्थासे फाँसी पर न चढ़वा देते ? हम इस समय अतीव कष्ट में हैं क्योंकि कोई भी हमको बचाने में उद्यत नहीं होता और जो कोई होता है तो उससे माँसाहारी द्वेष करते हैं (अस्तु) वे स्वार्थ के लिये द्वेष करो तो करो क्योंकि (स्वार्थी दोषन पश्यति) जो स्वार्थ साधनमें तत्पर है वह अपने दोषों पर ध्यान नहीं देता किन्तु दूसरों को हानि हो तो-हो सुख को सुख होना चाहिये, परन्तु जो उपकारी है वे इनके बचाने में अत्यन्त पुरुषार्थ करें जैसा कि आर्य लोग सृष्टि के आरम्भ से आज तक वेदोक्त रीति से मशंसनीय कर्म करते आये हैं वैसे ही सब भूगोलस्थ सज्जन मनुष्यों को करना उचित है ॥

धन्य है !! आर्यावर्तदेशवासी आर्य लोगों को कि जिन्होंने ईश्वर के सृष्टिक्रम के अनुसार परोपकार ही में अपना तन मन धन लगाया और लगाते

हैं इसीलिये आप्यावर्त्तीय राजा, महाराजा, प्रधान और धमाढ्य लोग आधी पृथिवी में जंगल रखते थे कि जिससे पशु और पक्षियों की रक्षा होकर ओषधियों के सार दूध आदि पवित्र पदार्थ उत्पन्न हों जिनके खाने पीने से आरोग्य, बुद्धिबल पराक्रम आदि सद्गुण बढ़ें और वृक्षां के अधिक होने से वर्षा जल और वायु में आर्द्रता और शुद्धि अधिक होती है पशु और पक्षी आदि के अधिक होने से खात भी अधिक होता है, परन्तु इस समय के मनुष्यों का इस से विपरीत व्यवहार है कि जंगलों को काट और कटवा डालना पशुओं को मार और मवा खाना और विष्टा आदि का खात खेतों में डाल अथवा डलवा कर रोगों की वृद्धि करके संसार का अहित करना, स्वयंयोजन साधना और परमयोजन पर ध्यान न देना, इत्यादि काम उलटे हैं (विषादप्यमृतइप्राणम्) सत्पुरुषों का यही सिद्धान्त है कि विष से भी अमृत लेना, इसी प्रकार गाय आदि का मांस विषवत् महारोगकारी को छोड़ कर उन से उत्पन्न हुए दूध आदि अमृत रोमनाशक हैं उन को लेना, अतएव इनकी रक्षा करके विषत्यागी और अमृतभोजी सब को होना चाहिये। सुनो बन्धुवर्गो ! तुम्हारा तन, मन, धन, गाय आदि की रक्षारूप परोपकार में न लगे तो किस काम का है ? देखो परमात्म का स्वभाव कि जिसने सब विश्व और सब पदार्थ परोपकार ही के लिये रच रखे हैं वैसे तुम भी अपना तन, मन, धन परोपकार ही के अर्पण करो, बड़े आश्चर्य की बात है कि पशुओं को पीड़ा न होने के लिये न्यायपुरस्क में व्यवस्था भी लिखी है कि जो पशु दुर्बल और रोगी हों उनको कष्ट न दिया जावे और जितना बोझ सुखपूर्वक उठा सके उतना ही उन पर धरा जावे ॥

श्रीमती राजराजेश्वरी श्रीविक्टोरिया महाराणी का विज्ञापन भी प्रसिद्ध है कि इन अव्यक्त वाणी पशुओं को जोर दुःख दिया जाता है वह न दिया जावे तो क्या मत्ता मार डालने से भी अधिक कोई दुःख होता है ? क्या फांसी से अधिक दुःख बन्दीशुद्ध में होता है ? जिस किसी अपराधी से पूछा जाय कि तू फांसी चढ़ने में प्रसन्न है वा बन्दीशुद्ध के रहने में ? तो वह स्पष्ट कहेगा कि फांसी में नहीं किन्तु बन्दीशुद्ध के रहने में, और जो कोई मनुष्य भोजन करने को उपस्थित हो उम के आगे से भोजन के पदार्थ उठा लिये जावे और उसको वहां से दूर किया जावे तो क्या वह सुख मानेगा ? ऐसे ही आजकल के समय में कोई गाय आदि पशु सरकारी जंगल में जाकर घास और पत्ता जो कि उन्हीं

के भोजनार्थ हैं बिना महसूल दिये खावें वा खाने को जावें तो बेचारे उन पशुओं और उन के स्वामियों की दुर्दशा होती है जंगल में आग लग जावे तो कबू चिंता नहीं किन्तु वे पशु न खाने पावें, हम कहते हैं कि किसी अति लुभा-
 चुर राजा वा राजपुरुष के सामने आये चावल आदि वा इबलरोठी आदि छीन कर न खाने दें और उन की दुर्दशा की जावे तो इन को दुःख विदित न होगा क्या ? क्या वैसा ही उन पशु पक्षियों और उन के स्वामियों को न होता होगा ? ध्यान देकर सुनिये कि जैसा दुःख सुख अपने को हाता है वैसा ही औरों को भी समझा कीजिये और यह भी ध्यान में रखिये कि वे पशु आदि और उन के स्वामी तथा खेती आदि कर्म करने वाले प्रजा के पशु आदि और मनुष्यों के अधिक पुरुषार्थ ही से राजा का ऐश्वर्य अधिक बढ़ता और न्यून से नष्ट हो जाता है इसीलिये राजा प्रजा से कर लेता है कि उनकी रक्षा यथा-
 वत् करे, न कि राजा और प्रजा के जो सुख के कारण गाय आदि पशु हैं उन का नाश किया जावे, इसलिये आज तक जो हुआ सो हुआ आगे आखें खोल कर सब के हानिकारक कर्मों को न कीजिये और न करने दीजिये। हां हम लोगों का यही काम है कि आप लोगों को भलाई और बुराई के कामों को जता दें और आप लोगों का यही काम है कि पक्षपात छोड़ सबकी रक्षा और बढ़ती करने में तत्पर रहें। सर्व शक्तिमान् जगदीश्वर हम और आप पर पूर्ण कृपा करे कि जिससे हम और आप लोग विश्व के हानिकारक कर्मों को छोड़ सर्वोपकारक कर्मों को करके सब लोग आनन्द में रहें। इन सब बातों को सुन मत डालना किन्तु सुन रखना, इन अनाथ पशुओं के प्राणों का शीघ्र बचाना ।

हे महाराजाधिराज जगदीश्वर ! जो इन को कोई न बचावे तो आप इन की रक्षा करने और हम से करामे में शीघ्र उद्यत हूजिये ॥

इति समीक्षा-प्रकरणम् ॥

इस सभा के नियम ॥

- १—सब विश्व को विविध सुख पहुंचाना इस सभा का मुख्य उद्देश है, किसी की हानि करना प्रयोजन नहीं ॥
- २—जो २ पदार्थ सृष्टिक्रमानुकूल जिस २ प्रकार से अधिक उपकार में आवे उस २ से आप्ताभिप्रायानुसार यथायोग्य सर्वहित सिद्ध करना इस सभा का परम पुरुषार्थ है ॥
- ३—जिस २ कर्मसे बहुत हानि और थोड़ा लाभ हो उस २ को सभा कर्तव्य नहीं समझती ॥
- ४—जो २ मनुष्य इस परमहितकारी कार्य में तन, मन, धन से प्रयत्न और सहायता करे वह २ इस सभा में प्रतिष्ठा के योग्य होवे ॥
- ५—जो कि यह कार्य सर्वहितकारी है इसलिये यह सभा भूगोलस्थ मनुष्य जाति से सहायता की पूरी आशा रखती है ॥
- ६—जो २ सभा देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में प्ररोपकार ही करना अभीष्ट रखती है वह २ इस सभा की सहायकारिणी समझी जाती है ॥
- ७—जो २ जन राजनीति वा प्रजा के अभीष्ट से विरुद्ध, स्वार्थी, क्रोधी और अविद्यादि दोषों से प्रमत्त होकर राजा और प्रजा के लिये अनिष्ट कर्म करे वह २ इस सभा का सम्बन्धी न समझा जावे ॥

उपनियम ॥

१—इस सभा का नाम 'गोकृप्यादिरक्षिणी' है ॥

उद्देश.

- २—इस सभाके उद्देश वे ही हैं जो कि इसके नियमोंमें वर्णन किये गये हैं ॥
- ३—जो लोग इस सभामें नाम लिखाना चाहें*और इसके उद्देशानुकूल आचरण करना चाहें वे इस सभामें प्रविष्ट हो सकते हैं परन्तु उनकी आयु १८ वर्ष से न्यून न हो। जो लोग इस सभामें प्रविष्ट हों वे गोरक्षक सभासद् कहलायेंगे ॥

*इस सभामें नाम लिखानेके लिये मंत्रीके पास इस प्रकारका पत्र भेजना चाहिये कि मैं प्रसन्नतापूर्वक इस सभाके उद्देशानुकूल जो कि नियमोंमें वर्णन किये हैं आचरण स्वीकार करता हूं मेरा नाम इस सभामें लिख लीजिये परन्तु अन्तरंग सभाको अधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतुसे उनका नाम इस सभामें लिखना स्वीकार न करे ॥

४—जिन का नाम इस सभा में सदाचार से एक वर्ष रहा हो और वे अपने आय का शतांश वा अधिक मासिक वा वार्षिक इस सभा को दें वे गोरक्षक सभासद् हो सकते हैं और सम्मति देने का अधिकार केवल गोरक्षक सभासदों ही को होगा ॥

(अ) गोरक्षक सभासद् बनने के लिये गोकुल्यादिरक्षिणी सभा में वर्ष भर नाम रहने का नियम किसी व्यक्ति के लिये अन्तरङ्गसभा शिथिल भी कर सकती है । इस सभा में वर्षभर रह कर गोरक्षकसभासद् बनने का नियम गोकुल्यादिरक्षिणी सभा के दूसरे वर्ष से काम आयेगा ॥

(ब) राजा सरदार बड़े २ साहूकार आदि को इस सभा के सभासद् बनने के लिये शतांश ही देना आवश्यक नहीं वे एकवार वा मासिक वा वार्षिक अपने उत्साह वा सामर्थ्यानुसार दे सकते हैं ॥

(ज) अन्तरङ्गसभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न देने वाले पुरुष को भी गोरक्षक सभासद् बना सकती है ॥

(द) नीचे लिखी हुई विशेष दशाओं में उन सभासदों की भी जो गोरक्षक सभासद् नहीं बने सम्मति ली जा सकती है:—

(१) जब नियमों में न्यूनाधिक शोधन करना हो ॥

(२) जब कि विशेष अवस्था में अन्तरङ्ग सभा उन की सम्मति लेनी योग्य और आवश्यक समझे ॥

(३) जो इस सभा के उद्देश के विरुद्ध कर्म करेगा वह न तो गोरक्षक और न गोरक्षकसभासद् गिना जावेगा ॥

(४) गोरक्षक सभासद् दो प्रकारके होंगे—एक साधारण और दूसरे माननीय । माननीय गोरक्षक सभासद् वे होंगे जो शतांश वा १०) ६० मासिक वा इस से अधिक देवें अथवा एक बार २५०) रुपये दें, वा जिन को अन्तरंगसभा विद्या आदि श्रेष्ठ श्रुतों से माननीय समझे ॥

५—यह सभा दो प्रकार की होगी—एक साधारण दूसरी अन्तरंग ॥

६—साधारणसभा तीन प्रकार की होगी १ मासिक, २ षाण्मासिक और ३ त्रैमासिक ॥

७—मासिकसभा— प्रतिमास एक बार हुआ करेगी उसमें यदिने भरका आय

व्यय और सभा के कार्यकर्ताओं की क्रियाओं का वर्णन किया जावे जो कि कथनयोग्य हो ॥

८-षाण्मासिक सभा-कार्तिक और वैशाख के अन्त में हुआ करे उस में आप्तोक्त विचार, मासिक सभा का कार्य, प्रत्येक प्रकार का आयव्यय समझना और समझाना होवे ॥

९-नैमित्तिक सभा-जब कभी मंत्री प्रधान और अन्तरंगसभा आवश्यक कार्य जानें उसी समय यह सभा हो और उस में विशेष कार्यों का प्रबंध होवे ॥

१०-अन्तरंगसभा-सभा के समस्त कार्यप्रबन्ध के लिये एक अन्तरंग-सभा नियत की जावे और इस में तीन प्रकार के सभासद् हों-एक प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिष्ठित और तीसरे अधिकारी ॥

११-प्रतिनिधि सभासद् अपने २ समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और उन्हें उनके समुदाय नियत करेंगे, कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है। प्रतिनिधि सभासदों के विशेष कार्य ये होंगे:-

(अ) अपने २ समुदायों की सम्मति से अपने को विज्ञ रखना।

(ब) अपने २ समुदायों को अन्तरंगसभा के कार्य जो किं एकट करने योग्य हों बतलाना।

(ज) अपने २ समुदायों से चन्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना।

१२-प्रतिष्ठित सभासद् विशेष गुणों के कारण प्रायः वार्षिक, नैमित्तिक और साधारण सभा में नियत किये जावें, प्रतिष्ठित सभासद् अन्तरंगसभा में एक तिहाई से अधिक न हो ॥

१३-प्रति वैशाख की सभा में अन्तरंगसभा के प्रतिष्ठित अधिकारी वार्षिक साधारण सभा में फिर से नियत किये जावें और कोई पुराना प्रतिष्ठित और अधिकारी पुनर्वार नियुक्त हो सकता है ॥

१४-जब वर्ष के पहिले किसी प्रतिष्ठित सभासद् और अधिकारी का स्थान रिक्त हो तो अन्तरंगसभा आप ही उस के स्थान पर किसी और योग्य पुरुष को नियत कर सकती है ॥

१५-अन्तरंगसभा कार्य के प्रबन्ध निमित्त उचित उपसभा बना सकती है परन्तु वह नियमों और उपनियमों से विरुद्ध न हो ॥

१६—अन्तरंगसभा किसी विशेष कार्य के करने और सोचने के लिये अपने में से सभासदों और विशेष गुण रखनेवाले सभासदों को मिलाकर उपसभा नियत कर सकती है ॥

१७—अन्तरंगसभा का कोई सभासद् मंत्री को एक सप्ताह के पहिले विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय सभामें निवेदन किया जावे और वह विषय प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावे परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में अन्तरंगसभा के पांच सभासद् सम्मति दें वह अवश्य निवेदन करना ही पड़ेगा ॥

१८—दो सप्ताह के पीछे अन्तरंगसभा अवश्य हुआ करे और मंत्री और प्रधान की आज्ञा से वा जत्र अन्तरंगसभा के पांच सभासद् मंत्री को पत्र लिखें तो भी हो सकती है ॥

१९—अधिकारी छः प्रकारके होंगे—१ प्रधान, २ उपप्रधान, ३ मंत्री, ४ उप-मंत्री, ५ कोषाध्यक्ष, ६ पुस्तकाध्यक्ष ॥

(मंत्री) (कोषाध्यक्ष) (पुस्तकाध्यक्ष) इनके अधिकारों पर आवश्यकता होनेसे एक से अधिक भी नियत हो सकते हैं और जब किसी अधिकार पर एक से अधिक भी नियत हों तो अन्तरंगसभा उन्हें कार्य बांट देवे ॥

प्रधान.

१०—प्रधान के निम्नलिखित अधिकार और काम होंगे:—

१ (प्रधान) अन्तरंगसभा आदि सब सभाओं का सभापति सम्भाले।

२ सदा सभा के सब कार्यों के यथावत् प्रबन्ध और सर्वथा उन्नति और रक्षा में तत्पर रहे। सभाके प्रत्येक कार्यको देखे कि वे नियमानुसार किये जाते हैं वा नहीं और स्वयं नियमानुसार चलें।

३ यदि कोई विषय कठिन और आवश्यक प्रतीत हो तो उस का यथोचित प्रबन्ध दत्काल करे और उस की हानि में वही उत्तर देवे।

४ प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाओं का जिन्हें अन्तरंगसभा संस्थापन करे सभासद् हो सकता है ॥

उपप्रधान.

११—उस के ये कार्य कर्तव्य हैं—प्रधान की अनुपस्थितिमें उस का प्रतिनिधि होवे, यदि दो वा अधिक उपप्रधान हों तो सभाकी संमति के अनुसार उनमें से

कोई एक प्रतिनिधि किया जावे परन्तु सभा के सब काय्यों में प्रधान को सहायता देनी उस का मुख्य कार्य है ॥

मन्त्री.

२२—मन्त्री के निम्नलिखित अधिकार और कार्य हैं:—

- १ अन्तरंगसभा की आज्ञानुसार सभा की ओर से सब के साथ पत्र-व्यवहार रखना ।
- २ सभाओं का वृत्तान्त लिखना और दूसरी सभा होने से पहिले ही पूर्व वृत्तान्त पुस्तक में लिखना वा लिखवाना ।
- ३ मासिक अन्तरंगसभाओं में उन गोरक्षकों वा गोरक्षक सभासदों के नाम सुनाना जो कि पिछली मासिकसभा के पीछे सभा में प्रविष्ट वा उस से पृथक् हुए हों ।
- ४ सामान्य प्रकार से भृत्यों के कार्य पर दृष्टि रखना और सभा के नियम, उपनियम और व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना ।
- ५ इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक गोरक्षक सभासद किसी न किसी समुदाय में हों और इस का भी कि प्रत्येक समुदाय ने अपनी ओर से अन्तरंगसभा में प्रतिनिधि किया होवे ।
- ६ पहिले विज्ञापन दिये पर मान्य पुरुषों को सत्कारपूर्वक बिठाना ।
- ७ प्रत्येक सभा में नियत काल पर श्राना और बराबर ठहरना ।

कोषाध्यक्ष.

१—कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और कार्य हैं:—

- १ सभा के सब आयधन का लेना, उस की रसीद देना और उस को यथोचित रखना ।
- २ किसी को अन्तरङ्गसभा की आज्ञा के बिना रुपया न देना किन्तु मन्त्री और प्रधान को भी उस प्रमाण से देवे जितना अन्तरंगसभा ने उन के लिये नियत किया हो, अधिक न देना और उस धन के उचित व्यय के लिये वही अधिकारी जिस के द्वारा वह व्यय हुआ हो उत्तरदाता होवे ।
- ३ सब धनके व्यय का रीतिपूर्वक बहीखाता रखना और प्रतिमास अन्तरङ्गसभा में हिसाब को बहीखाते समेकपरताल और स्वीकार के लिये निवेदन करना ॥

पुस्तकाध्यक्ष.

२४—पुस्तकाध्यक्ष के अधिकार और कार्य ये होवें:—

१ जो पुस्तकालय में सभा की स्थिर और विक्रय की पुस्तक हों उन सबों की रक्षा कर और पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब भी रक्खें और पुस्तकों के लेने देने का कार्य भी करें ।

निश्चित नियम ॥

२५—सब गोरक्षक सभासदों की सम्मति निम्नलिखित दशाओं में लीजावे:—

१ अन्तरंगसभा का यह निश्चय हो कि किसी साधारणसभा के सिद्धान्त पर निश्चय न करना चाहिये किन्तु गोरक्षक सभासदों की सम्मति जाननी चाहिये ॥

२ सब गोरक्षक सभासदों का पांचवां वा अधिक अंश इस निमित्त मन्त्री के पास पत्र लिख भेजें ॥

३ जब बहुत से व्यवसम्बन्धी वा प्रबन्धसम्बन्धी नियम अथवा व्यवस्था सम्बन्धी कोई मुख्यविचारादि करना हो अथवा जब अन्तरंगसभा सब गोरक्षक सभासदों की सम्मति जाननी चाहै ॥

२६—जब किसी सभा में थोड़े से समय के लिये कोई अधिकारी उपस्थित न हो तो उस समय के लिये किसी योग्य पुरुष को अन्तरंगसभा नियत कर सकती है ॥

२७—यदि किसी अधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुष नियत न किया जावे तो जबतक उस के स्थान पर नियत न किया जाय वही अधिकारी अपना काम करता रहै ॥

२८—सब सभा और उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करे और उस को सब गोरक्षकसभासद् देख सकते हैं ॥

सभाओं का कार्य तब आरम्भ हो जब न्यून से न्यून एक तिहाई सभासद् उपस्थित हों ॥

सब सभाओं और उपसभाओं के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित हों ॥

सभा का दशांश समुदाय में रक्खा जावे ॥

सब गोरक्षक और गोरक्षक सभासदों को इस सभा की उपयोगी वेदादि विद्या जाननी और जनानी चाहिये ॥

२९—सब गोरक्षक और गोरक्षक सभासदों को उचित है कि लाभ और आनन्द समय में सभा की उन्नति के लिये उदारता और पूर्ण भेदबुद्धि रक्खें ॥

- ४-सब गोरक्षक और गोरक्षक सभासदों को उचित है कि शोक और दुःख के समय में परस्पर सहायता करे और आनन्दोत्सव में निमंत्रण पर सहायक हों छोटाई बड़ाई न गिनै ॥
- ५-काई गोरक्षक भाई किसी हेतु से अनाथ वा किसी की स्त्री विधवा अथवा सन्तान अनाथ हो जावे अर्थात् उन का जीवन न होसकता हो और यदि गोकुल्यादिरक्षिणी सभा उनको निश्चित जान ले तो यह सभा उन की रक्षा में यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे ॥
- ६-यदि गोरक्षक सभासदों में किन्हीं का परस्पर झगड़ा हो तो उन को उचित है कि वे आपस में समझ लें वा गोरक्षक सभासदों की न्याय उपसभा द्वारा उस का न्याय करा लें परन्तु अशक्यावस्था में राजनीति द्वारा भी न्याय करा लें ॥
- ७-इस गोकुल्यादिरक्षिणी सभा के व्यवहार में जितना २ लाभ हो वह २ सर्व हितकारी काम में लगाया जावे किन्तु यह महाधन तुच्छ कार्य में व्यय न किया जावे और जो कोई इस गोकुल्यादि की रक्षा के लिये जो धन है उस को चोरी से अपहरण करेगा वह गोहत्या के पाप लगने से इस लोक और परलोक में महादुःखभागी अवश्य होगा ॥
- ८-संप्रति इस सभा के धन का व्यय गवादि पशु लेने, उनका पालन करने जंगल और घास के क्रय करने, उन की रक्षा के लिये भृत्य वा अधि-कारी रखने, तलाब कूप बावड़ी अथवा बाड़ा के लिये व्यय किया जाये। पुनः अत्युन्नत होने पर सर्वहित कार्य में भी व्यय किया जावे ॥
- ९-सब सज्जनों को उचित है कि इस गोरक्षक धन आदि समुदाय पर स्वार्थदृष्टि से हानि करना कभी मन से भी न विचारें किन्तु यथाशक्ति इस व्यवहार की उन्नति में सत्न, मन, धन से सदा परम प्रयत्न किया ही करें ॥
- १०-इस सभा के सब सभासदों को यह बात अवश्य जाननी चाहिये कि जब गवादि पशु रक्षित होके बहुत बढ़ेंगे तब कृषि आदि कर्म और दुग्ध घृत आदि की वृद्धि होकर सब मनुष्यादि को विविध सुख लाभ अवश्य होगा, इस के बिना सब का हित सिद्ध होना सम्भव नहीं ॥
- ११-देखिये पूर्वोक्त रीत्यनुसार एक गौ की रक्षा से लाखों मनुष्यादि को लाभ पहुंचना और जिस के मारने से उतने ही की हानि होती है ऐसे निकृष्ट कर्म के करने को आस विद्वान कभी इच्छा न समझेगा ॥

विज्ञापन ॥

पहिते कमीशन में पुस्तकें मिलती थीं अब नक़द रूपया मिलेगा ॥
 आकर महसूल सब का मूल्य से अलग देना होगा ॥

विभागाधीन पुस्तकें	मूल्य	विक्रयार्थ पुस्तकें	मूल्य
अभ्युदय (९ भाग)	२०)	सत्यार्थप्रकाश (बंगला)	१)
यजुर्वेदभाष्य सप्तम्या	१०)	संस्कारविधि	॥)
यजुर्वेदभाष्य श्रुतिका	११)	बहिया	॥=)
यजुर्वेदभाष्य १४ भाग	१२-॥)	वित्तवृद्धि	॥)
अष्टाध्यायी मूल	२-॥)	आर्याभिनियम गुटका	३-)
अष्टाध्यायी विधि	१-॥)	शास्त्रार्थ प्रकाशनाद	१-॥)
बहिया	२-)	आर्य समाज के नियमोपनियम	॥)
निश्चय	॥=)	वेदविशुद्धताखण्डन	२-)
शास्त्र (१ काण्ड)	॥)	वेदान्तप्रदानानिन्दारण नागरी	॥)
संस्कृतवाक्यप्रबोध	२-)	अंग्रेजी	१)
व्यवहारभाष्य	२-)	भ्रान्तिनिवारण	१)
भ्रमोच्छेदन	॥)	शास्त्रार्थकाशी	॥)
अनुभ्रमोच्छेदन	॥)	सत्यार्थव्यामन्तव्यप्रकाश नागरी	॥)
सत्यार्थविचार (मेलावाँदादुर) नागरी	१)	तथा	अंग्रेजी ॥)
" " " "	१)	मूलप्रद साधारण	५)
आर्योद्देश्यरत्नमाला (नागरी)	॥)	तथा बहिया	५॥)
" " " "	१)	" सुनहरी	२)
" " " "	॥)	अनुग्रहविद्या	१॥)
शोकसूक्त	१)	सत्यार्थव्यामन्त पुरा	४)
इशाचीनारायणव्यामन्त	१-॥)	ईशाद्विद्यापनिषद् मूल	॥=)
हयसम्बन्ध	१)	आर्योद्देश्योपनिषद् का संस्कृत तथा	
आर्याभिनियम इहे अक्षरी	१)	हिन्दी भाष्य	२)
सत्यार्थप्रकाश नागरी	१)	यजुर्वेदभाष्यभाष्य	२)

पुस्तक मिलने का धरा—

प्रबन्धकर्ता

वैदिक पुस्तकालय—अजमेर.

४२—इस सभा के जो २ पशु प्रसूत होंगे उन २ का दूध एक मास तक उसके बछड़े को पिजाना और अधिक उसी पशु को अन्न के साथ खिला देना चाहिये और दूसरे मास में तीन स्तनों का दूध बछड़े को देना और एक भाग लेना चाहिये, तीसरे मास के आरम्भ से आधा दुह लेना और आधा बछड़े को तब तक दिया करें कि जबतक गौ दूध देवें ॥

४३—सब सभासदों को उचित है कि जब २ किसी को स्वरक्षित पशु देवें तब २ न्याय नियमपूर्वक व्यवस्थापत्र ले और देकर, जब वह पशु असमर्थ हो जाय उस के काम का न रहे और उसके पालन करने में सामर्थ्य न हो तो अन्य किसी को न दे सके किन्तु पुनरपि सभा के आधीन करे ॥

४४—इस सभा की अन्तरंगसभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि उक्त प्रकार से अमास पशुओं की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षितों की वृद्धि और बड़े हुए पशुओं से नियमानुसार और सृष्टिक्रमाऽनुकूल उपकार लेना, अपने अधिकार में सदा रखना, अन्य किसी को इस में स्वाधीनता कभी न देवे ॥

४५—जो कि यह बहुत उपकारी कार्य है इमलिये इस का करनेवाला इसलोक और परलोक में स्वर्ग अर्थात् पूर्ण सुखों को अवश्य प्राप्त होता है ॥

४६—कोई भी मनुष्य इस सभा के पूर्वोक्त उद्देशों को लिये बिना सुखों की सिद्धि नहीं कर सकता ॥

४७—क्या ऐसा कोई भी मनुष्य सृष्टि में होगा कि जो अपने सुख दुःखवत् दूसरे प्राणियों का सुख दुःख अपने आत्मा में न समझता हो ॥

४८—य नियम और उपनियम उचित समय पर वा प्रतिवर्ष में यथाचित विज्ञापन देने पर शोध वा घटाये बढ़ाये जा सकते हैं ॥

ओ३म् सहना ववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे ।

तेजस्विनावधीतमस्तु मा चिद्धिषावहे ॥ ओं शान्तिः ३ ॥

धेनुः परा दया पूर्वा यस्यानन्दाद्विराजते ।
आख्यायां निर्मितस्तेन ग्रन्थो गोकर्णानिधिः ॥ १ ॥

मुनिरामाङ्कचन्द्रेऽदे तपस्यस्यासिते दले ।

दशस्यां गुरुवारेऽलंकृतोऽयं कामधेनुपः ॥ २ ॥

इति गोकर्णानिधिः ॥

आर्यसमाज के नियम ॥

गुरु विरजानन्द दण्डी
सन्दर्भ पुस्तकालय

पु. परिग्रहण क्रमांक ... 337
गानन्द महिला महावि.

- (१)—सब सत्यवेद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है ॥
- (२)—ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है ॥
- (३)—वेद सत्यविद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है ॥
- (४)—सत्यग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये ॥
- (५)—सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहियें ॥
- (६)—संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ॥
- (७)—सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्रत्तना चाहिये ।
- (८)—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये ॥
- (९)—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये ॥
- १०.)—सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें ॥

वैदिक ग्रन्थालय अजमेर के पुस्तकों का सूचीपत्र और संक्षिप्त नियम ।

(१) मूल्य रोक भेजकर मंगावें, (२) रोक भेजने वालों को (१०) ६० वा सप्ताह से अधिक पर २०) ६० सैंकड़ा के हिसाब से कमीशन के पुस्तक अधिक भेजे जायेंगे (३) डाक महसूल वेदभाष्य छोड़कर सब पुस्तकों पर भलग लिया जायगा २) ६० वा इस से अधिक के पुस्तक रजिस्टरी कराकर भेजे जायेंगे, (४) मूल्य निचेलिखे पतेसे भेजें ॥

	मू०	डा०		मू०	डा०
षष्ठवेदभाष्य अंक १—२४६		८३)			
षष्ठवेद भाष्य सम्पूर्ण		२४)	मेला चांदापुर नागरी	२))॥
	मू०	डा०	" उर्दू	२))॥
षष्ठवेदादि भाष्य भूमिका	२॥)	४)	वेदविरुद्धमतखण्डन	२))॥
" जिल्द की	३)	१)	आर्योद्देशपरसमाला	२))॥
सौन्दर्यशास्त्र शिक्षा	२))॥	गोकर्णानिधि	२))॥
सन्धि विषय	१४))॥	स्वामीनारायणमतखण्डन		
साहित्यिक	१४))॥	" गुजराती)॥)॥
कारकीय	१))॥	स्वमन्तव्याऽमन्तव्यप्रकाश)॥)॥
सांख्यिक	१४))॥	" इंग्रजी)॥)॥
सौख्यतादिन	१)	२)	शास्त्रार्थ फीरोजाबाद	४))॥
सत्यार्थ	२))॥	शास्त्रार्थकाशी	२))॥
सौंदर्य	२))॥	आर्याभिविनय	१))॥
माख्यात्मिक	२१४)	२)	" जिल्द की	१४)	२)
पारिभाषिक	४))॥	वेदान्तिध्वान्त निवारण	२))॥
सांख्यिक	१४))॥	भ्रान्तिनिवारण	२))॥
संस्कृत	१४))॥	पञ्चमहायज्ञविधि	४))॥
संस्कृत	१॥)	२)	" जिल्द की	१॥)	२)
सिद्धि	१४))॥	कार्यसमाप्त के निष्कर्षपरिनिष्	१))॥
संस्कृत	१)	२)	सतगुरु अक्षय (संस्कृत)	॥)	२)
संस्कृत	१४))॥	सत्यार्थ प्रकाश (संस्कृत)	२)	४)
संस्कृत	२))॥	जिल्द का	२॥)	१)
संस्कृत	२))॥	सत्यार्थ प्रकाश (इंडिया)	२॥)	१२)
संस्कृत	२))॥	जिल्द का	२)	१४)
संस्कृत	२))॥	संस्कृत विधि	११)	४)
संस्कृत	२))॥	" जिल्द का	११४)	४)
संस्कृत	२))॥	स्वीकार पत्र)॥)॥

॥ स० के नियम नागरी में सफेद कागज़ पर १) सैंकड़ा रंमौन पर १०) तथा अंग्रेज़ी सदीद पर ॥)
मैनेजर वैदिक ग्रन्थालय अजमेर

Annamath Paper 2-1-1912

ओ३म्

नमो विश्वम्भराय जगदीश्वराय ॥

अथ

गुरु विरजानन्द

सन्दर्भ पुस्तक

पु परिग्रहण क्रमांक 337

दयानन्द महिला

गोकर्णानिधिः

स्वामिदयानन्दसरस्वतीनिर्मितः

अजमेर-नगरे

वैदिकयन्त्रालये मुद्रितः

—१३०६—

गाय त्वादि षडुक्तों की रक्षा से सब प्राणियों के सुख के लिये
अनेक सत्पुरुषों की सम्मति के अनुसार आर्यभाषा में बनाया ॥

इसके अनुसार वर्तमान करने से संसार का बड़ा उपकार है ॥

विक्रमांशु संवत् १९६६ वैशाख

१९०९

सातवींवार २०००

मूल्य -)

ओ३म्

नमो नमः सर्वशक्तिमते जगदाध्वराय ॥

गोकर्णानिधिः ॥

इन्द्रो विश्वस्य राजति । शन्नो अस्तु द्वि-
पदे शं चतुष्पदे ॥ य० अ० ३६ । मं० ८ ॥


तनोतु सर्वेश्वर उत्तमम्बलं गवादिरेक्षं विविधं दयेरितः ।
अशेषविघ्नानि निहत्य नः प्रभुः सहायकारी विदधालु गोहितम् । श-
ये गोसुखं सम्यगुशन्ति धीरास्ते धर्मजं सौख्यमथाददन्ते ।
क्रूरा नराः पापरता नयन्ति प्रजाविहीनाः पशुहिंसकास्तत् ॥२॥

भूमिका ।

वे धर्मात्मा विद्वान् लोग धन्य हैं जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, अभि-
प्राय, सृष्टिकर्म, प्रत्यक्षादि प्रमाण और आत्माओं के आचार से अविरोध चलके
सब संसार को सुख पहुंचाते हैं, और शोक है उन पर जो कि इन से विरोध
स्वार्थी दयाहीन होकर जगत् में हानि करने के लिये वर्तमान हैं । पूजनीय जन
वे हैं कि जो अपनी हानि होती हो तो भी सब के हितके करने में अपना तन,
मन, धन लगाते हैं और तिरस्कारणीय वे हैं जो अपने ही लाभ में सन्तुष्ट रह
कर सब के सुखों का नाश करते हैं । ऐसा सृष्टि में कौन मनुष्य होगा जो सुख
और दुःख को स्वयं न मानता हो ? क्या ऐसा कोई भी मनुष्य है कि जिस के

गले को काटे वा रक्षा करे वह दुःख और सुख का अनुभव न करे ? जब सब को लाभ और सुख ही में प्रसन्नता है तो विना अपराध किसी प्राणी का प्राणवियोग करके अपना पोषण करना यह सत्पुरुषों के सामने निन्दित कर्म क्यों न होवे ? सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर इस सृष्टि में मनुष्यों के आत्माओं में अपनी दया और न्याय को प्रकाशित करे कि जिससे ये सब दया और न्याययुक्त होकर सर्वदा सर्वोपकारक काम करें और स्वार्थपन से पक्षपातयुक्त होकर कृपापात्र गाय आदि पशुओं का विनाश न करें कि जिससे दुग्ध आदि पदार्थों और खेती आदि क्रियाओं की सिद्धि से युक्त होकर सब मनुष्य आनन्द में रहें । इस ग्रन्थ में जो कुछ अधिक, न्यून वा अयुक्त लेख हुआ हो उस को बुद्धिमान् लोग इस ग्रन्थ के तात्पर्य के अनुकूल कर लें । धार्मिक विद्वानों की यही योग्यता है कि वक्ता के वचन और ग्रन्थकर्ता के अभिप्राय के अनुसार ही समझ लें । यह ग्रन्थ इसी अभिप्राय से रचा गया है जिससे गो आदि पशु जहाँतक सामर्थ्य हो बचाये जावें, और उनके बचाने से दूध घी और खेती के बढ़ने से सब को सुख बढ़ता रहे । परमात्मा कृपा करे कि यह अभीष्ट शीघ्र सिद्ध हो । इस ग्रन्थ में तीन प्रकरण हैं—एक समीक्षा, दूसरा नियम और तीसरा उपनियम । इन को ध्यान दे पक्षपात छोड़ विचार के राजा तथा प्रजा यथावत् उपयोग में लावें कि जिससे दोनों के लिये सुख बढ़ता ही रहे ॥

इति भूमिका ॥



अथ समीक्षा-प्रकरणम् ॥

गोकृष्यादिरक्षिणी सभा ॥

—:0:—

इस सभा का नाम गोकृष्यादिरक्षिणी इसलिये रक्खा है जिससे गवादि पशु और कृष्यादि कर्मों की रक्षा और वृद्धि होकर सब प्रकार के उत्तम सुख मनुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होते हैं, और इस के विना निम्नलिखित सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकते। सर्वशक्तिमान् जगदश्वर ने इस सृष्टि में जो २ पदार्थ बनाये हैं वे निष्प्रयोजन नहीं किन्तु एक २ वस्तु अनेक २ प्रयोजन के लिये रची है, इसलिये उनसे वे ही प्रयोजन लेना न्याय अन्यथा अन्याय है देखिये जिसलिये यह नेत्र बनाया है, इससे वही कार्य लेना सब को उचित होता है, न कि उस से पूर्ण प्रयोजन न लेकर बीचही में वह नष्ट कर दिया जावे क्या जिन २ प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने जो २ पदार्थ बनाये हैं उन २ से वे २ प्रयोजन न लेकर उन को प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषों के विचार में बुरा कर्म नहीं है ? पक्षपात छोड़ कर देखिये गाय आदि पशु और कृषि आदि कर्मों से सब संसार को असंख्य सुख होते हैं वा नहीं ? जैसे दो और दो चार, वैसे ही सत्यविद्या से जो २ विषय जाने जाते हैं वे अन्यथा कभी नहीं हो सकते ॥

जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती हो और दूसरी बीस सेर तो प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर दूध देने में कुछ भी शंका नहीं, इस हिसाब से एक मास में ८५ सवा आठ मन दूध होता है। एक गाय कम से कम ६ महीने और दूसरी अधिक से अधिक १८ महीने तक दूध देती है तो दोनों का मध्य भाग प्रत्येक गाय के दूध देने में बारह महीने होते हैं इस हिसाब से बारह महीनों का दूध ६६ निम्नानवें मन होता है। इतने दूध को ओटा कर प्रति सेर में छटांक चावल और डेढ़ छटांक चीनी डालकर खीर बना खावें तो प्रत्येक पुरुष के लिये दो सेर दूध की खीर पुष्कल होती है क्योंकि यह भी एक मध्य भाग की गिनती है अर्थात् कोई दो सेर दूध की खीर से अधिक

खागया और कोई न्यून इम हिसाब से एक प्रसूता गाय के दूध से १६८० एक हजार नवसौ अरसी मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं। गाय न्यून से न्यून ८ और अधिक से अधिक १८ वार व्याती है इस का मध्य भाग तरह वार आया। तो २५७४० पच्चीस हजार सातसौ चालीस मनुष्य एक गाय के जन्म भर के दूधमात्र से एक बार तृप्त हो सकते हैं। इस गाय को एक पीढ़ी में छः बछियाँ और सात बछड़े हुए इन में से एक की मृत्यु रोगादि से होना सम्भव है तो भी बारह रहे। उन छः बछियाँ के दूधमात्र से उक्त प्रकार १५४४४० एक लाख चौवन हजार चारसौ चालीस मनुष्यों का पालन हो सकता है। अब रहे छः बैल उन में एक जोड़ी से दोनों साह में २०० दोसौ मन अन्न उत्पन्न हो सकता है इस प्रकार तीन जोड़ी ६०० छः सौ मन अन्न उत्पन्न कर सकती हैं और उनके कार्य का मध्य भाग आठ वर्ष है इस हिसाब से ४८०० चार हजार आठसौ मन अन्न उत्पन्न करने की शक्ति एक जन्म में तीनों जोड़ी की (४८००) इतने अन्न से प्रत्येक मनुष्य का तीन पाव अन्न भोजन में भिनें तो २५६००० दो लाख छपन हजार मनुष्यों का एक बार भोजन होता है दूध और अन्न को मिलाकर देखने से निश्चय है कि ४१०४४० चारलाख दशहजार चारसौ चालीस मनुष्यों का पालन एक बार के भोजन से होता है। अब छः गाय की पीढ़ी परपीढ़ियों का हिसाब लगा कर देखा जावे तो असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है और इस के मांस से अनुमान है कि केवल अरसी भांसाहारी मनुष्य एक बार तृप्त हो सकते हैं। देखो तुच्छ लाभ के लिये लाखों प्राणियों को मार असंख्य मनुष्यों की हानि करना महापाप क्यों नहीं ?

सद्यपि गाय के दूध से भैंस का दूध कुछ अधिक और बैलों से भैंसा कुछ न्यून लाभ पहुंचाता है तथापि जितना गाय के दूध और बैलों के उपयोग से मनुष्यों को सुखों का लाभ होता है उतना भैंसियों के दूध और भैंसा से नहीं क्योंकि जितने आरोग्यकारक और सुद्विषदक आदि सुख गाय के दूध और बैलों में होते हैं उतने भैंस के दूध और भैंसे आदि में नहीं हो सकते, इसलिये आर्यों ने गाय सर्वोत्तम मानी है ॥

और जंतुनी का दूध गाय और भैंस के दूध से भी अधिक होता है तो भी

इन का दूध माय के सदृश नहीं ऊंट और ऊंटनी के गुण भार उठाकर शीघ्र पहुंचाने के लिये प्रशंसनीय है ॥

अब एक बकरी कम से कम एक और अधिक से अधिक पांच सेर दूध देती है इसका मध्यभाग प्रत्येक बकरी से तीन सेर दूध होता है और न्यून से न्यून तीन महीने और अधिक से अधिक पांच महीने तक दूध देती है तो प्रत्येक बकरी के दूध देने में मध्यभाग चार महीने हुए वह एक मास में २। सवा दो मन और चार मास में १ मन मन होता है पूर्वोक्त प्रकारानुसार इस दूध से एक-सौ अस्सी १८० मनुष्यों की तृप्ति होती है, और एक बकरी एक वर्ष में दो बार व्याती है इस हिसाब से एक वर्ष में एक बकरी के दूध के एक बार भोजन से ३६० तीन सौ साठ मनुष्यों की तृप्ति होती है, कोई बकरी न्यून से न्यून चार वर्ष और कोई अधिक से अधिक ८ आठ वर्ष तक व्याती है इस का मध्य भाग ६ छः वर्ष हुआ तो जन्मभर के दूध से २१६० दो हजार एक सौ साठ मनुष्यों का एक बार के भोजन से पालन होता है, अब उसके बच्चा बच्ची मध्यभाग से २४ चौबीस हुए क्योंकि कोई न्यून से न्यून और कोई अधिक से अधिक तीन बच्चों से व्याती है उन में से दो का अल्प मृत्यु समझो, रहे २२ बाईस उन में से १२ बारह बकरियों के दूध से २५९२० पचीस हजार नव सौ बीस मनुष्यों का एक दिन पालन होता है उसकी पीढ़ी परपीढ़ी के हिसाब लगाने से असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है और बकरे भी बोझ उठाने आदि प्रयोजनों में आते हैं और बकरा बकरी और भेड़ा भेड़ी के ऊन के बच्चों से मनुष्यों को बड़े-र सुख लाभ होते हैं, यद्यपि भेड़ी का दूध बकरी के दूध से कुछ कम होता है तथापि बकरी के दूध से उस के दूध में बल और घृत अधिक होता है। इसी प्रकार अन्य दूध देनेवाले पशुओं के दूध से भी अनेक प्रकार के सुख लाभ होते हैं जैसे ऊंट ऊंटनी से लाभ होते हैं वैसे ही घोड़े घोड़ी और हाथी आदि से अधिक कार्य सिद्ध होते हैं, इसी प्रकार सूअर, कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी और मोर आदि पक्षियों से भी अनेक उपकार होते हैं जो पुरुष हरिण और सिंह आदि पशु और मोर आदि पक्षियों से भी उपकार लेना चाहें तो ले सकते हैं परन्तु सब का पालन उत्तरोत्तर समयानुकूल होवेगा, वर्तमान में प्रसोपकारकर्मों की रक्षा में मुख्य तात्पर्य है। दो ही प्रकार से मनुष्य आदि की प्राणरक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल और पुरुषार्थ आदि की वृद्धि होती है एक अन्नपान, दूसरा

आच्छादन इन में से प्रथम के बिना मनुष्यादि का सर्वथा प्रलय और दूसरे के बिना अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। देखिये जो पशु निःसार घास तृण पत्ते फल फूल आदि खानें और सार दूध आदि अमृतरूपी रत्न देवें, हल गाड़ी में चल के अनेकविध अन्न आदि उत्पन्न कर सबके बुद्धि बल पराक्रम को बढ़ा के नीरोगता करें, पुत्र पुत्री और मित्र आदि के समान पुरुषों के साथ विश्वास और प्रेम करें, जहां बांधें वहां बँधे रहें, जिधर चलानें उधर चलें, जहां से हटावें वहां से हट जावें, देखने और बुलाने पर समीप चले आवें, जब कभी व्याघ्रादि पशु वा मारनेवाले को देखें अपनी रक्षा के लिये पालन करनेवाले के समीप दौड़ कर आवें कि यह हमारी रक्षा करेगा ॥

जिन के मरे पर चमड़ा भी कंटक आदि से रक्षा करे, जंगल में चर के अपने बच्चे और स्वामी के लिये दूध देने को नियत स्थान पर नियत समय चले आवें, अपने स्वामी की रक्षा के लिये तन मन लगावें, जिन का सर्वस्व राजा और प्रजा आदि मनुष्यों के सुख के लिये है, इत्यादि शुभ गुणयुक्त सुखकारक पशुओं के गले छुरों से काट कर जो अपना पेट भर सब संसार की हानि करते हैं, क्या संसार में उन से भी अधिक कोई विश्वासघाती अनुपकारी दुःख देनेवाले और पापी जन होंगे ? इसीलिये यजुर्वेद के प्रथम ही मन्त्र में परमात्मा की आज्ञा है कि (अध्याः यजमानस्य पशून् पाहि) हे पुरुष ! तू इन पशुओं को कभी मत मार और यजमान अर्थात् सब के सुख देने वाले जनों के सम्बन्धी पशुओं की रक्षा कर जिन से तेरी भी पूरी रक्षा होवे और इसीलिये ब्रह्मा से ले के आज पर्यन्त आर्य लोग पशुओं की रक्षा में प्राप और अप्रम समझते थे और अब भी समझते हैं, और इनकी रक्षा में अन्न भी मैंहगा नहीं होता, क्योंकि दूध आदि के अधिक होने से दरिद्री को भी खान पान में बिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है, और अन्न के कम खाने से मल भी कम होता है, मल के न्यून होने से दुर्गन्ध भी न्यून होता है, दुर्गन्ध के स्वल्प होने से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि भी विशेष होती है, उस से रोगों की न्यूनता होने से सब को सुख बढ़ता है ॥

इन से यह ठीक है कि गौ आदि पशुओं के नाश होने से राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता है, क्योंकि जब पशु न्यून होते हैं तब दूध आदि पदार्थ और खेती आदि कर्मों की भी घटती होती है ॥ देखो इसी से जितने मन्त्र से

जितना दूध और घी आदि पदार्थ तथा बैल आदि पशु ७०० सातसौ वर्ष के पूर्व मिलते थे उतना दूध घी और बैल आदि पशु इस समय दशगुणे मूल्य से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि ७०० सातसौ वर्ष के पीछे इस देश में गवादि पशुओं को मारनेवाले मांसाहारी विदेशी मनुष्य बहुत आ बसे हैं, वे उन सर्वोपकारी पशुओं के हाड़ मांस तक भी नहीं छोड़ते तो (नष्टे मूले नैव पत्रं न पुष्पम्) जब कारण का नाश करदे तो कार्य नष्ट क्यों न हो जावे? हे मांसाहारियो ! तुम लोग जब कुछ काल के पश्चात् पशु न मिलेंगे तब मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं? हे परमेश्वर ! तू क्यों इन पशुओं पर (जो कि विना अपराध मारे जाते हैं) दया नहीं करता? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्या इन के लिये तेरी न्यायसभा बंद होगई है? क्यों उन की पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान नहीं देता? और उन की पुकार नहीं सुनता, क्यों इन मांसाहारियों के आत्माओं में दया प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थपन और मूर्खता आदि दोषों को दूर नहीं करता? जिससे ये, इन बुरे कामों से बचें ॥

अथ समीक्षायां हिंसकरत्नकसंवादः ॥

हिंसक—ईश्वर ने सब पशु आदि सृष्टि मनुष्यों के लिये रची है और मनुष्य अपनी भाक्ति के लिये, इसलिये मांस खाने में दोष नहीं हो सकता ।

रत्नक—भाई ! सुनो, तुम्हारे शरीर को जिस ईश्वर ने बनाया है क्या उसीने पशु आदि के शरीर नहीं बनाये हैं? जो तुम कहो कि पशु आदि हमारे खाने को बनाये हैं तो हम कह सकते हैं कि हिंसक पशुओं के लिये तुम को उसने रचा है क्योंकि जैसे तुम्हारा चित्त उन के मांस पर चलता है वैसेही सिंह शृगल आदि का चित्त भी तुम्हारे मांस खाने पर चलता है तो उनके लिये तुम क्यों नहीं ॥

हिं०—देखो ईश्वर ने पुरुषों के दांत कैसे पौने मांसाहारी पशुओं के समान बनाये हैं इससे हम जानते हैं कि मनुष्यों को मांस खाना उचित है ।

र०—जिन व्याघ्रादि पशुओं के दांत के दृष्टान्त से अपना पक्ष सिद्ध किया चाहते हो क्या तुम भी उन के तुल्य ही हो ! देखो तुम्हारी मनुष्य जाति उन की पशु जाति, तुम्हारे दो पग और उनके चार, तुम विद्या पढ़कर सत्यासत्य का विवेक कर सकते हो वे नहीं, और यह तुम्हारा दृष्टान्त भी युक्त नहीं क्योंकि

जो दांत का दृष्टान्त लेते हो तो बंदर के दांतों का दृष्टान्त क्यों नहीं लेते? देखो बंदरों के दांत सिंह और बिल्ली आदि के समान हैं और वे मांस कभी नहीं खाते, मनुष्य और बंदर की आकृति भी बहुतसी मिलती है जैसे मनुष्यों के हाथ पग और नख आदि होते हैं वैसे ही बंदरों के भी हैं इसीलिये परमेश्वर ने मनुष्यों को दृष्टान्त से उपदेश किया है कि जैसे बंदर मांस कभी नहीं खाते और फलादि खाकर निर्वाह करते हैं वैसे तुम भी किया करो, जैसा बंदरों का दृष्टान्त सांगोपांग मनुष्यों के साथ घटता है वैसे अन्य किसी का नहीं, इसलिये मनुष्यों को अति उचित है कि मांस खाना सर्वथा छोड़ दें।

हि०—देखो जो मांसाहारी पशु और मनुष्य हैं वे बलवान् और जो मांस नहीं खाते हैं वे निर्बल होते हैं इससे मांस खाना चाहिये।

र०—क्यों अल्प समझ की बातें मानकर कुछ भी विचार नहीं करते, देखो सिंह मांस खाता और सुअर वा अरणा भैसा मांस कभी नहीं खाता परंतु जो सिंह बहुत मनुष्यों के समुदाय में गिरे तो एक या दो को मारता और एक दो गोली वा तलवार के प्रहार से मर भी जाता है और जब जंगली सुअर वा अरणा भैसा जिस प्राणिसमुदाय में गिरता है तब उन अनेक सवारों और मनुष्यों को मारता और अनेक गोली, बरछी तथा तलवार आदि के प्रहार से भी शीघ्र नहीं गिरता और सिंह उन से डर के अलग सटक जाता है और वह सिंह से नहीं डरता। और जो प्रत्यक्ष दृष्टांत देखना चाहें तो एक मांसाहारी का एक दूध घी और अन्नाहारी यथुरा के मज्जल चाँबे से बाहुयुद्ध हो तो अनुमान है कि जो मांसाहारी को पटक उस की छाती पर चढ़ ही बैठेगा, पुनः परीक्षा होगी कि किस र के खाने से बल न्यून और अधिक होता है। भला तनिक विचार करो कि छिलकों के खाने से अधिक बल होता है अथवा रस और जो सार है उस के खाने से? मांस छिलके के समान और दूध घी सार रस के तुल्य है इस को जो युक्तिपूर्वक खावे तो मांस से अधिक शुण और बलकारी होता है फिर मांस का खाना व्यर्थ और हानिकारक, अन्याय, अधर्म और दुष्ट कर्म क्यों नहीं?

हि०—जिस देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीं मिलता वहां वा अप्तकाल में अथवा रोगनिवृत्ति के लिये मांस खाने में दोष नहीं होता।

२०—यह आप का कहना व्यर्थ है क्योंकि जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ पृथिवी प्रशस्त होती है, जहाँ पृथिवी है वहाँ खेती वा फल फूल आदि होते हैं और हाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ मनुष्य भी नहीं रह सकते और जहाँ ऊसर भूमि वहाँ मिष्ट जल और फलाहारादि के न होने से मनुष्यों का रहना भी दुर्घट है और आपत्काल में भी अन्य उपायों से निर्वाह कर सकते हैं जैसे मांस के न खानेवाले करते हैं और बिना मांस के रोगों का निवारण भी औषधियों से यथावत् होता है इसीलिये मांस खाना अच्छा नहीं ॥

हि०—जो कोई भी मांस न खावे तो पशु इतने बढ़ जायँ कि पृथिवी पर भी न समावेँ और इसलिये ईश्वर ने उनकी उत्पत्ति भी अधिक की है तो मांस क्यों न खाना चाहिये ? ॥

२०—वाह ! वाह ! यह बुद्धि का विपर्यय आप को मांसाहार ही से हुआ होगा । देखो मनुष्य का मांस कोई नहीं खाता पुनः क्यों न बढ़ गये, और इनकी अधिक उत्पत्ति इसलिये है कि एक मनुष्य के पालन व्यवहार में अनेक पशुओं की अपेक्षा है इसलिये ईश्वर ने उनको अधिक उत्पन्न किया है ॥

हि०—ये जिनने उत्तर किये वे सब व्यवहार संबन्धी हैं परंतु पशुओं को मारके मांस खाने में अधर्म तो नहीं होता और जो होता है तो तुम को होता होगा क्योंकि तुम्हारे मत में निषेध है इसलिये तुम मत खाओ और हम खावें क्योंकि हमारे मत में मांस खाना अधर्म नहीं है ॥

२०—इस तुम से पूछते हैं कि धर्म और अधर्म व्यवहार ही में होते हैं वा अधर्म ? तुम कभी सिद्ध न कर सकोगे कि व्यवहार से भिन्न धर्माधर्म होते हैं, जिस जिस व्यवहार से दूसरों की हानि हो वह २ अधर्म, और जिस २ व्यवहार से उपकार हो वह २ धर्म कहाता है, तो लाखों के सुखलाभकारक पशुओं का नाश करना अधर्म और उनकी रक्षा से लाखों को सुख पहुंचाना धर्म क्यों नहीं मानते ? देखो चोरी जारी आदि कर्म इसीलिये अधर्म हैं कि इनसे दूसरे की हानि होती है नहीं तो जो २ प्रयोजन धनादि से उन के स्वामी सिद्ध करते हैं वे ही प्रयोजन उन चोरादि के भी सिद्ध होते हैं, इसलिये यह निश्चित है कि जो २ कर्म जगत् में हानिकारक हैं वे २ अधर्म और जो २ प्रयोपकारक हैं वे २ धर्म कहाते हैं । जब एक आदमी की हानि करने से चोरी आदि कर्म पाप में गिनते हो तो गवादि पशुओं को मार के बहुतों की हानि

करना महापाप क्यों नहीं ? देखो मांसाहारी मनुष्यों में दया आदि उत्तम गुण होतेही नहीं किन्तु वे स्वार्थवश होकर दूसरे की हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने ही में सदा रहते हैं। जब मांसाहारी किसी पुष्ट पशु को देखता है तभी उस को इच्छा होती है कि इसमें मांस अधिक है मारकर खाऊँ तो अच्छा हो, और जब मांस का न खानेवाला उसको देखता है तो प्रसन्न होता है कि यह पशु आनन्द में है। जैसे सिंह आदि मांसाहारी पशु किसी का उपकार तो नहीं करते किन्तु अपने स्वार्थ के लिये दूसरे का प्राण भी ले मांस खाकर अति प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मांसाहारी मनुष्य भी होते हैं, इसलिये मांस का खाना किसी मनुष्य को उचित नहीं ॥

हि०—अच्छा जो यही बात है तो जबतक पशु काम में आवें तबतक उन का मांस न खाना चाहिये, जब बूढ़े होजावें वा मर जावें तब खाने में कुछ भी दोष नहीं ॥

र०—जैसे दोष उपकार करनेवाले माता पिता आदि के वृद्धावस्था में मारने और उन के मांस खाने में है वैसे उन पशुओं की सेवा न कर मार के मांस खाने में है और जो मरे पश्चात् उन का मांस खाने तो उसका स्वभाव मांसाहारी होने से अवश्य हिंसक हाके हिंसारूपी पाप से कभी न बच सकेगा, इसलिये किसी अवस्था में मांस न खाना चाहिये ॥

हि०—जिन पशुओं और पक्षियों अर्थात् जंगल में रहनेवालों से उपकार किसी का नहीं होता और हानि होती है उन का मांस खाना वा नहीं ? ॥

र०—न खाना चाहिये, क्योंकि वे भी उपकार में आ सकते हैं। देखो तो १०० भंगी जितनी शुद्धि करते हैं उन से अधिक एक सुअर वा मुर्गा अथवा भोर आदि पक्षी सर्प आदि की निवृत्ति करने से पवित्रता और अनेक उपकार करते हैं और जैसे मनुष्यों का खान पान दूसरे के खाने पीने से उनका जितना अनुपकार होता है वैसे जंगली मांसाहारी का अन्न जंगली पशु और पक्षी है, और जो विद्या वा विचार से सिंह आदि वनस्थ पशु और पक्षियों से उपकार लेवें तो अनेक प्रकार का लाभ उन से भी होसकता है इस कारण मांसाहार का सर्वथा निषेध होना चाहिये। भला जिनके दूध आदि खाने पीने में आते हैं वे माता पिताके समान माननीय क्यों न होने चाहिये ? ईश्वर की सृष्टि से भी विदित होता है कि

मनुष्यों से पशु और पक्षी आदि अधिक रहने से कल्याण है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों के खाने पीने के पदार्थों से भी पशु और पक्षियों के खानेपीने के पदार्थ घास वृक्ष फूल फलादि अधिक रचे हैं और वे बिना जोते बोये सींचे पृथिवी पर स्वयं उत्पन्न होते हैं और वहां वृष्टि भी करता है इसलिये समझ लीजिये कि ईश्वर का अभिप्राय उन के मारने में नहीं किन्तु रक्षा करने में है ॥

हि०—जो मनुष्य पशु को मारके मांस खावे उन को पाप-होता है और जो विकता मांस मूल्य से ले वा भैरव, चामुंडा, दुर्गा, जखैया, वाममार्ग अथवा यज्ञ आदि की रीति से चढ़ा समर्पण कर खावे तो उन को पाप नहीं होना चाहिये क्योंकि वे विधि करके खाते हैं ॥

र०—जो कोई मांस न खावे न उपदेश और न अनुमति आदि देवे तो पशु आदि कभी न मारे जायें, क्योंकि इस व्यवहार में बहकावट लाभ और विक्री न हो तो प्राणियों का मारना बंद ही हो जावे, इस में प्रमाण भी है—

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कृता चोपहस्ता च खादक्तश्चेति घातकाः ॥ १ ॥

(मनु० अ० ५ । श्लो० ५१)

अर्थ—अनुमति (मारने की सलाह) देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिये लेने और बेचने, मांस के पकाने, परसने और खानेवाले ८ आठ मनुष्य घातक हिंसक अर्थात् ये सब पापकारी हैं और भैरव आदि के निमित्त से भी मांस खाना मारना वा मरवाना महापापकर्म है इसीलिये दयालु परमेश्वरने वेदों में मांस खाने वा पशु आदि के मारने की विधि नहीं लिखी ॥

मद्यभी मांस खाने का ही कारण है इसीलिये यहाँ संक्षेप से लिखते हैं—

प्रमत्त—कहोनी मांस तो छूटा सो छूटा परन्तु मद्य पीने में तो कोई भी दोष नहीं ? ॥

शान्त—मद्य पीने में भी वैसे ही दोष है जैसे कि मांस खाने में, मनुष्य मद्य पीने से नशे के कारण नष्टबुद्धि होकर अकस्वय कर लेता और कस्वय को छोड़ देता है, न्याय का अन्याय और अन्याय का न्याय आदि विपरीत कर्म करता है और मद्य की उत्पत्ति विकृत पदार्थों से होती है और वह मांस-हारी अवरुध हो जाता है, इसलिये इसके पीने से आत्मा में विकार उत्पन्न

होते हैं और जो मद्य पीता है वह विद्यादि शुभ गुणों से रहित होकर उन दोषों में फँस कर अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों को छोड़ पशुवत् आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने मनुष्यजन्म को व्यर्थ कर देता है इसलिये नशा अर्थात् मदकारक द्रव्योंका सेवन भी न करना चाहिये । जैसा मद्य है वैसे भांग आदि पदार्थ भी मादक हैं इसलिये इनका भी सेवन कभी न करे, क्योंकि ये भी बुद्धि का नाश करके ममाद, आलस्य और हिंसा आदि में मनुष्य को लगा देते हैं इसीलिये मद्यपान के समान इन का भी सर्वथा निषेध ही है ॥

इससे हे धार्मिक सज्जन लोगो ! आप इन पशुओं की रक्षा तन, मन और धन से क्यों नहीं करते ? हाय !! बड़े शोक की बात है कि जय हिंसक लोग गाय बकरे आदि पशु और मोर आदि पक्षियों को मारने के लिये ले जाते हैं तब वे अनाथ तुम हम को देख के राजा और मजा पर बड़े शोक प्रकाशित करते हैं कि देखो ! हमको बिना अपराध बुरे हाल से मारते हैं और हम रक्षा करने तथा मारनेवालों को भी दूध आदि अमृत पदार्थ देने के लिये उपस्थित रहना चाहते हैं और मारे जाना नहीं चाहते, देखो हम लोगों का सर्वस्व परोपकार के लिये है और हम इसलिये पुकारते हैं कि हम को आप लोग बचावें, हम तुम्हारी भाषा में अपना दुःख नहीं समझा सकते और आप लोग हमारी भाषा नहीं जानते नहीं तो क्या हममें से किसीको कोई मारता तो हम भी आप लोगोंके सहज अपने मारनेवालोंको न्यायव्यवस्थासे फाँसी पर न चढ़वा देते ? हम इस समय अतीव कष्ट में हैं क्योंकि कोई भी हमको बचाने में उद्यत नहीं होता और जो कोई होता है तो उससे माँसाहारी द्वेष करते हैं (अस्तु) वे स्वार्थ के लिये द्वेष करो तो करो क्योंकि (स्वार्थी दोषन पश्यति) जो स्वार्थ साधनमें तत्पर है वह अपने दोषों पर ध्यान नहीं देता किन्तु दूसरों को हानि हो तो ही सुख को सुख होना चाहिये, परन्तु जो उपकारी हैं वे इनके बचाने में अत्यन्त पुरुषार्थ करें जैसा कि आर्य लोग सृष्टि के आरम्भ से आज तक वेदोक्त रीति से मशंसनीय कर्म करते आये हैं वैसे ही सब भूगोलस्थ सज्जन मनुष्यों को करना उचित है ॥

धन्य है !! आर्यावर्तदेशवासी आर्य लोगों को कि जिन्होंने ईश्वर के सृष्टिक्रम के अनुसार परोपकार ही में अपना तन मन धन लगाया और लगाते

हैं इसीलिये आप्यावर्त्तीय राजा, महाराजा, प्रधान और धमाढथ लोग आधी पृथिवी में जंगल रखते थे कि जिससे पशु और पक्षियों की रक्षा होकर ओषधियों के सार दूध आदि पवित्र पदार्थ उत्पन्न हों जिनके खाने पीने से आरोग्य, बुद्धिबल पराक्रम आदि सद्गुण बढ़ें और वृक्षां के अधिक होने से वर्षा जल और वायु में आर्द्रता और शुद्धि अधिक होती है पशु और पक्षी आदि के अधिक होने से खात भी अधिक होता है, परन्तु इस समय के मनुष्यों का इस से विपरीत व्यवहार है कि जंगलों को काट और कटवा डालना पशुओं को मार और मवा खाना और विष्टा आदि का खात खेतों में डाल अथवा डलवा कर रोगों की वृद्धि करके संसार का अहित करना, स्वयंयोजन साधना और परमयोजन पर ध्यान न देना, इत्यादि काम उलटे हैं (विषादप्यमृतइप्राणम्) सत्पुरुषों का यही सिद्धान्त है कि विष से भी अमृत लेना, इसी प्रकार गाय आदि का मांस विषवत् महारोगकारी को छोड़ कर उन से उत्पन्न हुए दूध आदि अमृत रोमनाशक हैं उन को लेना, अतएव इनकी रक्षा करके विषत्यागी और अमृतभोजी सब को होना चाहिये। सुनो बन्धुवर्गो ! तुम्हारा तन, मन, धन, गाय आदि की रक्षारूप परोपकार में न लगे तो किस काम का है ? देखो परमात्म का स्वभाव कि जिसने सब विश्व और सब पदार्थ परोपकार ही के लिये रच रखे हैं वैसे तुम भी अपना तन, मन, धन परोपकार ही के अर्पण करो, बड़े आश्चर्य की बात है कि पशुओं को पीड़ा न होने के लिये न्यायपुरस्क में व्यवस्था भी लिखी है कि जो पशु दुर्बल और रोगी हों उनको कष्ट न दिया जावे और जितना बोझ सुखपूर्वक उठा सके उतना ही उन पर धरा जावे ॥

श्रीमती राजराजेश्वरी श्रीचिक्कोरिया महाराणी का विज्ञापन भी प्रसिद्ध है कि इन अव्यक्त वाणी पशुओं को जोर दुःख दिया जाता है वह र न दिया जावे तो क्या भला मार डालने से भी अधिक कोई दुःख होता है ? क्या फांसी से अधिक दुःख बन्दीशुद्ध में होता है ? जिस किसी अपराधी से पूछा जाय कि तू फांसी चढ़ने में प्रसन्न है वा बन्दीशुद्ध के रहने में ? तो वह स्पष्ट कहेगा कि फांसी में नहीं किन्तु बन्दीशुद्ध के रहने में, और जो कोई मनुष्य भोजन करने को उपस्थित हो उम के आगे से भोजन के पदार्थ उठा लिये जावे और उसको वहां से दूर किया जावे तो क्या वह सुख मानेगा ? ऐसे ही आजकल के समय में कोई गाय आदि पशु सरकारी जंगल में जाकर घास और पत्ता जो कि उन्हीं

के भोजनार्थ हैं बिना महसूल दिये खावें वा खाने को जावें तो बेचारे उन पशुओं और उन के स्वामियों की दुर्दशा होती है जंगल में आग लग जावे तो कबू चिंता नहीं किन्तु वे पशु न खाने पावें, हम कहते हैं कि किसी अति लुभा-
 चुर राजा वा राजपुरुष के सामने आये चावल आदि वा इबलरोठी आदि छीन कर न खाने दें और उन की दुर्दशा की जावे तो इन को दुःख विदित न होगा क्या ? क्या वैसा ही उन पशु पक्षियों और उन के स्वामियों को न होता होगा ? ध्यान देकर सुनिये कि जैसा दुःख सुख अपने को हाता है वैसा ही औरों को भी समझा कीजिये और यह भी ध्यान में रखिये कि वे पशु आदि और उन के स्वामी तथा खेती आदि कर्म करने वाले प्रजा के पशु आदि और मनुष्यों के अधिक पुरुषार्थ ही से राजा का ऐश्वर्य अधिक बढ़ता और न्यून से नष्ट हो जाता है इसीलिये राजा प्रजा से कर लेता है कि उनकी रक्षा यथा-
 वत् करे, न कि राजा और प्रजा के जो सुख के कारण गाय आदि पशु हैं उन का नाश किया जावे, इसलिये आज तक जो हुआ सो हुआ आगे आखें खोल कर सब के हानिकारक कर्मों को न कीजिये और न करने दीजिये। हां हम लोगों का यही काम है कि आप लोगों को भलाई और बुराई के कामों को जता दें और आप लोगों का यही काम है कि पक्षपात छोड़ सबकी रक्षा और बढ़ती करने में तत्पर रहें। सर्व शक्तिमान् जगदीश्वर हम और आप पर पूर्ण कृपा करे कि जिससे हम और आप लोग विश्व के हानिकारक कर्मों को छोड़ सर्वोपकारक कर्मों को करके सब लोग आनन्द में रहें। इन सब बातों हो सुन मत डालना किन्तु सुन रखना, इन अनाथ पशुओं के प्राणों का शीघ्र बचाना।

हे महाराजाधिराज जगदीश्वर ! जो इन को कोई न बचावे तो आप इन ही रक्षा करने और हम से करामे में शीघ्र उद्यत हूजिये ॥

इति समीक्षा-प्रकरणम् ॥

इस सभा के नियम ॥

- १—सब विश्व को विविध सुख पहुंचाना इस सभा का मुख्य उद्देश है, किसी की हानि करना प्रयोजन नहीं ॥
- २—जो २ पदार्थ सृष्टिक्रमानुकूल जिस २ प्रकार से अधिक उपकार में आवे उस २ से आप्ताभिप्रायानुसार यथायोग्य सर्वहित सिद्ध करना इस सभा का परम पुरुषार्थ है ॥
- ३—जिस २ कर्मसे बहुत हानि और थोड़ा लाभ हो उस २ को सभा कर्तव्य नहीं समझती ॥
- ४—जो २ मनुष्य इस परमहितकारी कार्य में तन, मन, धन से प्रयत्न और सहायता करे वह २ इस सभा में प्रतिष्ठा के योग्य होवे ॥
- ५—जो कि यह कार्य सर्वहितकारी है इसलिये यह सभा भूगोलस्थ मनुष्य जाति से सहायता की पूरी आशा रखती है ॥
- ६—जो २ सभा देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में प्ररोपकार ही करना अभीष्ट रखती है वह २ इस सभा की सहायकारिणी समझी जाती है ॥
- ७—जो २ जन राजनीति वा प्रजा के अभीष्ट से विरुद्ध, स्वार्थी, क्रोधी और अविद्यादि दोषों से प्रमत्त होकर राजा और प्रजा के लिये अनिष्ट कर्म करे वह २ इस सभा का सम्बन्धी न समझा जावे ॥

उपनियम ॥

१—इस सभा का नाम 'गोकुल्यादिरक्षिणी' है ॥

उद्देश.

- २—इस सभाके उद्देश वे ही हैं जो कि इसके नियमोंमें वर्णन किये गये हैं ॥
- ३—जो लोग इस सभामें नाम लिखाना चाहें*और इसके उद्देशानुकूल आचरण करना चाहें वे इस सभामें प्रविष्ट हो सकते हैं परन्तु उनकी आयु १८ वर्ष से न्यून न हो। जो लोग इस सभामें प्रविष्ट हों वे गोरक्षक सभासद् कहलावेंगे ॥

*इस सभामें नाम लिखानेके लिये मंत्रीके पास इस प्रकारका पत्र भेजना चाहिये कि मैं प्रसन्नतापूर्वक इस सभाके उद्देशानुकूल जो कि नियमोंमें वर्णन किये हैं आचरण स्वीकार करता हूं मेरा नाम इस सभामें लिख लीजिये परन्तु अन्तरंग सभाको अधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतुसे उनका नाम इस सभामें लिखना स्वीकार न करे ॥

४—जिन का नाम इस सभा में सदाचार से एक वर्ष रहा हो और वे अपने आय का शतांश वा अधिक मासिक वा वार्षिक इस सभा को दें वे गोरक्षक सभासद् हो सकते हैं और सम्मति देने का अधिकार केवल गोरक्षक सभासदों ही को होगा ॥

(अ) गोरक्षक सभासद् बनने के लिये गोकुल्यादिरक्षिणी सभा में वर्ष भर नाम रहने का नियम किसी व्यक्ति के लिये अन्तरङ्गसभा शिथिल भी कर सकती है । इस सभा में वर्षभर रह कर गोरक्षकसभासद् बनने का नियम गोकुल्यादिरक्षिणी सभा के दूसरे वर्ष से काम आयेगा ॥

(ब) राजा सरदार बड़े साहूकार आदि को इस सभा के सभासद् बनने के लिये शतांश ही देना आवश्यक नहीं वे एकवार वा मासिक वा वार्षिक अपने उत्साह वा सामर्थ्यानुसार दे सकते हैं ॥

(ज) अन्तरङ्गसभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न देने वाले पुरुष को भी गोरक्षक सभासद् बना सकती है ॥

(द) नीचे लिखी हुई विशेष दशाओं में उन सभासदों की भी जो गोरक्षक सभासद् नहीं बने सम्मति ली जा सकती है:—

(१) जब नियमों में न्यूनाधिक शोधन करना हो ॥

(२) जब कि विशेष अवस्था में अन्तरङ्ग सभा उन की सम्मति लेनी योग्य और आवश्यक समझे ॥

(३) जो इस सभा के उद्देश के विरुद्ध कर्म करेगा वह न तो गोरक्षक और न गोरक्षकसभासद् गिना जावेगा ॥

४) गोरक्षक सभासद् दो प्रकारके होंगे—एक साधारण और दूसरे माननीय। माननीय गोरक्षक सभासद् वे होंगे जो शतांश वा १०) ६० मासिक वा इस से अधिक देवें अथवा एक बार २५०) रुपये दें, वा जिन को अन्तरंगसभा विद्या आदि श्रेष्ठ श्रुतियों से माननीय समझे ॥

—यह सभा दो प्रकार की होगी—एक साधारण दूसरी अन्तरंग ॥

—साधारणसभा तीन प्रकार की होगी १ मासिक, २ षाण्मासिक और ३ नैमित्तिक ॥

१—मासिकसभा— प्रतिमास एक बार हुआ करेगी उसमें यहीने भरका आय

व्यय और सभा के कार्यकर्ताओं की क्रियाओं का वर्णन किया जावे जो कि कथनयोग्य हो ॥

८-षाण्मासिक सभा-कार्तिक और वैशाख के अन्त में हुआ करे उस में आप्तोक्त विचार, मासिक सभा का कार्य, प्रत्येक प्रकार का आयव्यय समझना और समझाना होवे ॥

९-नैमित्तिक सभा-जब कभी मंत्री प्रधान और अन्तरंगसभा आवश्यक कार्य जानै उसी समय यह सभा हो और उस में विशेष कार्यों का प्रबंध होवे ॥

१०-अन्तरंगसभा-सभा के समस्त कार्यप्रबन्ध के लिये एक अन्तरंग-सभा नियत की जावे और इस में तीन प्रकार के सभासद् हों-एक प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिष्ठित और तीसरे अधिकारी ॥

११-प्रतिनिधि सभासद् अपने २ समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और उन्हें उनके समुदाय नियत करेंगे, कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है। प्रतिनिधि सभासदों के विशेष कार्य ये होंगे:-

- (अ) अपने २ समुदायों की सम्मति से अपने को विज्ञ रखना।
- (ब) अपने २ समुदायों को अन्तरंगसभा के कार्य जो किं एकट करने योग्य हों बतलाना।
- (ज) अपने २ समुदायों से चन्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना।

१२-प्रतिष्ठित सभासद् विशेष गुणों के कारण प्रायः वार्षिक, नैमित्तिक और साधारण सभा में नियत किये जावें, प्रतिष्ठित सभासद् अन्तरंगसभा में एक तिहाई से अधिक न हो ॥

१३-प्रति वैशाख की सभा में अन्तरंगसभा के प्रतिष्ठित अधिकारी वार्षिक साधारण सभा में फिर से नियत किये जावें और कोई पुराना प्रतिष्ठित और अधिकारी पुनर्वार नियुक्त हो सकता है ॥

१४-जब वर्ष के पहिले किसी प्रतिष्ठित सभासद् और अधिकारी का स्थान रिक्त हो तो अन्तरंगसभा आप ही उस के स्थान पर किसी और योग्य पुरुष को नियत कर सकती है ॥

१५-अन्तरंगसभा कार्य के प्रबन्ध निमित्त उचित उपसभा बना सकती है परन्तु वह नियमों और उपनियमों से विरुद्ध न हो ॥

१६—अन्तरंगसभा किसी विशेष कार्य के करने और सोचने के लिये अपने में से सभासदों और विशेष गुण रखनेवाले सभासदों को मिलाकर उपसभा नियत कर सकती है ॥

१७—अन्तरंगसभा का कोई सभासद् मंत्री को एक सप्ताह के पहिले विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय सभामें निवेदन किया जावे और वह विषय प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावे परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में अन्तरंगसभा के पांच सभासद् सम्मति दें वह अवश्य निवेदन करना ही पड़ेगा ॥

१८—दो सप्ताह के पीछे अन्तरंगसभा अवश्य हुआ करे और मंत्री और प्रधान की आज्ञा से वा जन्म अन्तरंगसभा के पांच सभासद् मंत्री को पत्र लिखें तो भी हो सकती है ॥

१९—अधिकारी छः प्रकारके होंगे—१ प्रधान, २ उपप्रधान, ३ मंत्री, ४ उप-मंत्री, ५ कोषाध्यक्ष, ६ पुस्तकाध्यक्ष ॥

(मंत्री) (कोषाध्यक्ष) (पुस्तकाध्यक्ष) इनके अधिकारों पर आवश्यकता होनेसे एक से अधिक भी नियत हो सकते हैं और जब किसी अधिकार पर एक से अधिक भी नियत हों तो अन्तरंगसभा उन्हें कार्य बांट देवे ॥

प्रधान.

२०—प्रधान के निम्नलिखित अधिकार और काम होंगे:—

१ (प्रधान) अन्तरंगसभा आदि सब सभाओं का सभापति सम्भाले।

२ सदा सभा के सब कार्यों के यथावत् प्रबन्ध और सर्वथा उन्नति और रक्षा में तत्पर रहे। सभाके प्रत्येक कार्यको देखे कि वे नियमानुसार किये जाते हैं वा नहीं और स्वयं नियमानुसार चलें।

३ यदि कोई विषय कठिन और आवश्यक प्रतीत हो तो उस का यथोचित प्रबन्ध दत्काल करे और उस की हानि में वही उत्तर देवे।

४ प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाओं का जिन्हें अन्तरंगसभा संस्थापन करे सभासद् हो सकता है ॥

उपप्रधान.

३१—उस के ये कार्य कर्तव्य हैं—प्रधान की अनुपस्थितिमें उस का प्रतिनिधि होवे, यदि दो वा अधिक उपप्रधान हों तो सभाकी संमति के अनुसार उनमें से

कोई एक प्रतिनिधि किया जावे परन्तु सभा के सब काय्यों में प्रधान को सहायता देनी उस का मुख्य कार्य है ॥

मन्त्री.

२२—मन्त्री के निम्नलिखित अधिकार और कार्य हैं:—

- १ अन्तरंगसभा की आज्ञानुसार सभा की ओर से सब के साथ पत्र-व्यवहार रखना ।
- २ सभाओं का वृत्तान्त लिखना और दूसरी सभा होने से पहिले ही पूर्व वृत्तान्त पुस्तक में लिखना वा लिखवाना ।
- ३ मासिक अन्तरंगसभाओं में उन गोरक्षकों वा गोरक्षक सभासदों के नाम सुनाना जो कि पिछली मासिकसभा के पीछे सभा में प्रविष्ट वा उस से पृथक् हुए हों ।
- ४ सामान्य प्रकार से भृत्यों के कार्य पर दृष्टि रखना और सभा के नियम, उपनियम और व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना ।
- ५ इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक गोरक्षक सभासद् किसी न किसी समुदाय में हों और इस का भी कि प्रत्येक समुदाय ने अपनी ओर से अन्तरंगसभा में प्रतिनिधि किया होवे ।
- ६ पहिले विज्ञापन दिये पर मान्य पुरुषों को सत्कारपूर्वक बिठाना ।
- ७ प्रत्येक सभा में नियत काल पर श्राना और बराबर ठहरना ।

कोषाध्यक्ष.

१—कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और कार्य हैं:—

- १ सभा के सब आयधन का लेना, उस की रसीद देना और उस को यथोचित रखना ।
- २ किसी को अन्तरङ्गसभा की आज्ञा के बिना रुपया न देना किन्तु मन्त्री और प्रधान को भी उस प्रमाण से देवे जितना अन्तरंगसभा ने उन के लिये नियत किया हो, अधिक न देना और उस धन के उचित व्यय के लिये वही अधिकारी जिस के द्वारा वह व्यय हुआ हो उत्तरदाता होवे ।
- ३ सब धनके व्यय का रीतिपूर्वक बहीखाता रखना और प्रतिमास अन्तरङ्गसभा में हिसाब को बहीखाते समेकपरताल और स्वीकार के लिये निवेदन करना ।

पुस्तकाध्यक्ष.

२४—पुस्तकाध्यक्ष के अधिकार और कार्य ये होवें:—

१ जो पुस्तकालय में सभा की स्थिर और विक्रय की पुस्तक हों उन सबों की रक्षा कर और पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब भी रक्खें और पुस्तकों के लेने देने का कार्य भी करें ।

मिश्रित नियम ॥

२५—सब गोरक्षक सभासदों की सम्मति निम्नलिखित दशाओं में लीजावे:—

१ अन्तरंगसभा का यह निश्चय हो कि किसी साधारणसभा के सिद्धान्त पर निश्चय न करना चाहिये किन्तु गोरक्षक सभासदों की सम्मति जाननी चाहिये ॥

२ सब गोरक्षक सभासदों का पांचवां वा अधिक अंश इस निमित्त मन्त्री के पास पत्र लिख भेजें ॥

३ जब बहुत से व्यवसम्बन्धी वा प्रबन्धसम्बन्धी नियम अथवा व्यवस्था सम्बन्धी कोई मुख्यविचारादि करना हो अथवा जब अन्तरंगसभा सब गोरक्षक सभासदों की सम्मति जाननी चाहै ॥

२६—जब किसी सभा में थोड़े से समय के लिये कोई अधिकारी उपस्थित न हो तो उस समय के लिये किसी योग्य पुरुष को अन्तरंगसभा नियत कर सकती है ॥

२७—यदि किसी अधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुष नियत न किया जावे तो जबतक उस के स्थान पर नियत न किया जाय वही अधिकारी अपना काम करता रहै ॥

२८—सब सभा और उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करे और उस को सब गोरक्षकसभासद् देख सकते हैं ॥

उपसभाओं का कार्य तब आरम्भ हो जब न्यून से न्यून एक तिहाई सभासद् उपस्थित हों ॥

सब सभाओं और उपसभाओं के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित हों ॥

सभा का दशांश समुदाय में रक्खा जावे ॥

सब गोरक्षक और गोरक्षक सभासदों को इस सभा की उपयोगी वेदादि विद्या जाननी और जनानी चाहिये ॥

२९—सब गोरक्षक और गोरक्षक सभासदों को उचित है कि लाभ और आनन्द समय में सभा की उन्नति के लिये उदारता और पूर्ण भेदबिधि रक्खें ॥

- ४-सब गोरक्षक और गोरक्षक सभासदों को उचित है कि शोक और दुःख के समय में परस्पर सहायता करे और आनन्दोत्सव में निमंत्रण पर सहायक हों छोटाई बड़ाई न गिनै ॥
- ५-काई गोरक्षक भाई किसी हेतु से अनाथ वा किसी की स्त्री विधवा अथवा सन्तान अनाथ हो जावे अर्थात् उन का जीवन न होसकता हो और यदि गोकुल्यादिरक्षिणी सभा उनको निश्चित जान ले तो यह सभा उन की रक्षा में यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करै ॥
- ६-यदि गोरक्षक सभासदों में किन्हीं का परस्पर झगड़ा हो तो उन को उचित है कि वे आपस में समझ लें वा गोरक्षक सभासदों की न्याय उपसभा द्वारा उस का न्याय करा लें परन्तु अशक्यावस्था में राजनीति द्वारा भी न्याय करा लें ॥
- ७-इस गोकुल्यादिरक्षिणी सभा के व्यवहार में जितना २ लाभ हो वह २ सर्व हितकारी काम में लगाया जावे किन्तु यह महाधन तुच्छ कार्य में व्यय न किया जावे और जो कोई इस गोकुल्यादि की रक्षा के लिये जो धन है उस को चोरी से अपहरण करेगा वह गोहत्या के पाप लगने से इस लोक और परलोक में महादुःखभागी अवश्य होगा ॥
- ८-संप्रति इस सभा के धन का व्यय गवादि पशु लेने, उनका पालन करने जंगल और घास के क्रय करने, उन की रक्षा के लिये भृत्य वा अधि-कारी रखने, तलाब कूप बावड़ी अथवा बाड़ा के लिये व्यय किया जाये। पुनः अत्युन्नत होने पर सर्वहित कार्य में भी व्यय किया जावे ॥
- ९-सब सज्जनों को उचित है कि इस गोरक्षक धन आदि समुदाय पर स्वार्थदृष्टि से हानि करना कभी मन से भी न विचारै किन्तु यथाशक्ति इस व्यवहार की उन्नति में सत्न, मन, धन से सदा परम प्रयत्न किया ही करे ॥
- १०-इस सभा के सब सभासदों को यह बात अवश्य जाननी चाहिये कि जब गवादि पशु रक्षित होके बहुत बढ़ेंगे तब कृषि आदि कर्म और दुग्ध घृत आदि की इच्छि होकर सब मनुष्यादि को विविध सुख लाभ अवश्य होगा, इस के बिना सब का हित सिद्ध होना सम्भव नहीं ॥
- ११-देखिये पूर्वोक्त रीत्यनुसार एक गौ की रक्षा से लाखों मनुष्यादि को लाभ पहुंचना और जिस के मारने से उतने ही की हानि होती है ऐसे निकृष्ट कर्म के करने को आस विद्वान कभी इच्छा न समझेगा ॥

विज्ञापन ॥

पहिले कमीशन में पुस्तकें मिलती थीं अब नक़द रूपया मिलेगा ॥
आस महसूल सब का मूल्य से अलग देना होगा ॥

विभागाध्यक्ष पुस्तकें	मूल्य	विक्रयार्थ पुस्तकें	मूल्य
अभ्युदय (९ भाग)	२०)	सत्यार्थप्रकाश (बंगला)	१)
यजुर्वेदभाष्य सभ्युषा	१०)	संस्कारविधि	॥)
विश्वकोशदिभाष्यशुभिका	११)	" बहिषा	॥ =)
विज्ञानप्रकाश (१४ भाग	१२)	वित्तवृद्धति	॥)
अष्टाध्यायी मूल	८)	आर्याभिनियम गुटका	८)
पञ्चमहायज्ञविधि	८)	शास्त्रार्थ कोशभाषा	८)
" बहिषा	८)	शास्त्रार्थ कोश नियमोपनियम	८)
निरुद्ध	॥ =)	वेदविशुद्धतत्वगणन	८)
शतसूक्त (१ काण्ड)	॥)	वेदान्तप्रदायनिन्दारण नागरी	॥)
संस्कृतवाक्यप्रबोध	८)	" अंग्रेजी	८)
व्यवहारभाष्य	८)	भ्रान्तिनिवारण	८)
भ्रमोच्छेदन	॥)	शास्त्रार्थकाशी	॥)
अनुभ्रमोच्छेदन	॥)	सप्तमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश नागरी	॥)
सत्यार्थविचार (मेलावाँदादुर) नागरी	८)	तथा अंग्रेजी	॥)
" " " " " "	८)	मूलपद साधारण	५)
आर्योद्देशरत्नमाला (नागरी)	८)	तथा बहिषा	५)
" " " (अंग्रेजी)	८)	" सुनहरी	८)
" " " (अंग्रेजी)	८)	अनुग्रहविधि	५)
शोकसुखविचार	८)	सत्यार्थप्रकाश पुरा	४)
वैश्वदेव्यार्थप्रवृत्तसंस्कार	८)	ईशाविश्वोपनिषद् मूल	॥ =)
हयसम्बन्ध	८)	लान्दोर्ग्योपनिषद् का संस्कृत तथा	
आर्याभिनियम इहे अक्षरी	८)	हिन्दी भाषा	१)
सत्यार्थप्रकाश नागरी	१)	यजुर्वेदभाष्यभाष्य	१)

पुस्तक मिलने का धरा—

प्रबन्धकर्ता

वैदिक पुस्तकालय--अजमेर.

४२—इस सभा के जो २ पशु प्रसूत होंगे उन २ का दूध एक मास तक उसके बछड़े को पिजाना और अधिक उसी पशु को अन्न के साथ खिला देना चाहिये और दूसरे मास में तीन स्तनों का दूध बछड़े को देना और एक भाग लेना चाहिये, तीसरे मास के आरम्भ से आधा दुह लेना और आधा बछड़े को तब तक दिया करें कि जबतक गौ दूध देवें ॥

४३—सब सभासदों को उचित है कि जब २ किसी को स्वरक्षित पशु देवें तब २ न्याय नियमपूर्वक व्यवस्थापत्र ले और देकर, जब वह पशु असमर्थ हो जाय उस के काम का न रहे और उसके पालन करने में सामर्थ्य न हो तो अन्य किसी को न दे सके किन्तु पुनरपि सभा के आधीन करे ॥

४४—इस सभा की अन्तरंगसभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि उक्त प्रकार से अमास पशुओं की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षितों की वृद्धि और बड़े हुए पशुओं से नियमानुसार और सृष्टिक्रमाऽनुकूल उपकार लेना, अपने अधिकार में सदा रखना, अन्य किसी को इस में स्वाधीनता कभी न देवे ॥

४५—जो कि यह बहुत उपकारी कार्य है इमलिये इस का करनेवाला इसलोक और परलोक में स्वर्ग अर्थात् पूर्ण सुखों को अवश्य प्राप्त होता है ॥

४६—कोई भी मनुष्य इस सभा के पूर्वोक्त उद्देशों को लिये बिना सुखों की सिद्धि नहीं कर सकता ॥

४७—क्या ऐसा कोई भी मनुष्य सृष्टि में होगा कि जो अपने सुख दुःखवत् दूसरे प्राणियों का सुख दुःख अपने आत्मा में न समझता हो ॥

४८—य नियम और उपनियम उचित समय पर वा प्रतिवर्ष में यथाचित विज्ञापन देने पर शोध वा घटाये बढ़ाये जा सकते हैं ॥

ओ३म् सहना ववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ।

तेजस्विनावधीतमस्तु मा चिद्धिषावहै ॥ ओं शान्तिः ३ ॥

धेनुः परा दया पूर्वा यस्यानन्दाद्विराजते ।
आख्यायां निर्मितस्तेन ग्रन्थो गोकर्णानिधिः ॥ १ ॥

मुनिरामाङ्कचन्द्रेऽदे तपस्यस्यासिते दले ।

दशस्यां गुरुवारेऽलंकृतोयं कामधेनुपः ॥ २ ॥

इति गोकर्णानिधिः ॥

आर्यसमाज के नियम ॥

गुरु विरजानन्द दण्डी
सन्दर्भ पुस्तकालय

पु. परिग्रहण क्रमांक ... 337
गानन्द महिला महावि.

- (१)—सब सत्यवेद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है ॥
- (२)—ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है ॥
- (३)—वेद सत्यविद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है ॥
- (४)—सत्यग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये ॥
- (५)—सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये ॥
- (६)—संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ॥
- (७)—सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्रतना चाहिये ॥
- (८)—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये ॥
- (९)—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये ॥
- १०.)—सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें ॥